सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विनियोग लेखे

APPROPRIATION ACCOUNTS

2018-19

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विनियोग लेखे

APPROPRIATION ACCOUNTS

2018-19

विषय–सूची

			पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना			(i)
विनियोग लेखों का सारांश 2018-19			(ii) – (vii)
लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र			(viii) – (ix)

विनियोग लेखे

1.	अनुदान संख्या	1 – विधान सभा	1
2.	अनुदान संख्या	2 – सामान्य प्रशासन	2
3.	अनुदान संख्या	3 – न्याय प्रशासन	7
4.	अनुदान संख्या	4 – वित्त	11
5.	अनुदान संख्या	5 – गृह	16
6.	अनुदान संख्या	6 – शिक्षा	20
7.	अनुदान संख्या	7 – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	34
8.	अनुदान संख्या	8 – समाज कल्याण	48
9.	अनुदान संख्या	9 – उद्योग	60
10.	अनुदान संख्या	10 – विकास	64
11.	अनुदान संख्या	11– शहरी विकास तथा लोक निर्माण	79
12.	अनुदान संख्या	12– सरकारी कर्मचारियों को ऋण	101
13.	अनुदान संख्या	13– पेंशन	102
14.	अनुदान संख्या	14– आकस्मिक निधि के अर्न्तगत विनियोजन	103
15.	अनुदान संख्या	15– सार्वजनिक ऋण	104
16.	अनुबन्ध	**‘क’**	105

प्रस्तावना

इस संकलन में, 2018-19 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा खर्च की गई राशियों के विनियोग लेखे, जिनकी तुलना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 की धारा 29 एवं 30 के अन्तर्गत विनियोग के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अनेक राशियों से की गई हैं । इन लेखों में :–

"मू." का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोग से है ।

"पू." का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है ।

"पु." का तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये पुनर्विनियोगों, निकासियों अथवा अभ्यर्पण से है ।

प्रभारित विनियोगों और व्यय को रेखाकिंत किया गया है ।

विनियोग लेखों का सार

SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS

2018-19

वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखों का सार
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS 2018-19

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
									(In thousand of rupees)	
1–विधान सभा	प्रभारित	Charged	8000	0	6543	0	-1457	0	0	0
Legislative Assembly	स्वीकृत	Voted	217200	0	206258	0	-10942	0	0	0
2–सामान्य प्रशासन	प्रभारित	Charged	174525	0	128544	0	-45981	0	0	0
General Administration	स्वीकृत	Voted	5269375	0	1986423	0	-3282952	0	0	0
3–न्याय प्रशासन	प्रभारित	Charged	3129000	0	2623508	0	-505492	0	0	0
Admn. of Justice	स्वीकृत	Voted	13089853	170000	10140279	169658	-2949574	-342	0	0
4–वित्त	प्रभारित	Charged	13570	0	11395	0	-2175	0	0	0
Finance	स्वीकृत	Voted	3306100	7101500	2466963	22317	-839137	-7079183	0	0
5–गृह	प्रभारित	Charged	7000	0	3783	0	-3217	0	0	0
Home	स्वीकृत	Voted	6679700	498200	5883137	115303	-796563	-382897	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
									(In thousand of rupees)	
6– शिक्षा	प्रभारित	Charged	6083	0	3575	0	-2508	0	0	0
Education	स्वीकृत	Voted	119695950	6404450	88337721	2506493	-31358229	-3897957	0	0
7– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	प्रभारित	Charged	156374	6147	118178	6147	-38196	0	0	0
Medical & Public Health	स्वीकृत	Voted	57314300	3167300	50767550	1514718	-6546750	-1652582	0	0
8– समाज कल्याण	प्रभारित	Charged	400	0	0	0	-400	0	0	0
Social Welfare	स्वीकृत	Voted	61622850	14910625	56645913	4487007	-4976937	-10423618	0	0
9– उद्योग	प्रभारित	Charged	1350	0	0	0	-1350	0	0	0
Industries	स्वीकृत	Voted	4437582	32700	1594690	1004	-2842892	-31696	0	0
10–विकास	प्रभारित	Charged	5550	5000	2696	798	-2854	-4202	0	0
Development	स्वीकृत	Voted	26351903	3755600	21175709	2459869	-5176194	-1295731	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
									(In thousand of rupees)	
11–शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	प्रभारित	Charged	700	0	20	0	-680	0	0	0
Urban Development & PWD	स्वीकृत	Voted	109144900	66969200	98508003	45584874	-10636897	-21384326	0	0
12–सरकारी कर्मचारियों को ऋण Loans to Govt. Servants	स्वीकृत	Voted	0	15000	0	10143	0	-4857	0	0
13–पेंशन Pensions	स्वीकृत	Voted	1250000	0	21807	0	-1228193	0	0	0
14–आकस्मिक निधि के अर्न्तगत विनियोजन Appropriation to the Contingency Fund	स्वीकृत	Voted	0	900000	0	900000	0	0	0	0
15–सार्वजनिक ऋण Public Debt	प्रभारित	Charged	29589840	36363600	28671141	36363530	-918699	-70	0	0
योग	प्रभारित	**Charged**	**33092392**	**36374747**	**31569383**	**36370475**	**-1523009**	**-4272**	**0**	**0**
Total	स्वीकृत	**Voted**	**408379713**	**103924575**	**337734453**	**57771386**	**-70645260**	**-46153189**	**0**	**0**

विनियोग लेखों का सार (जारी)

चूंकि अनुदान और विनियोग की कुल आवश्यक राशियों के लिए उनके सामने दर्शाये गये आंकड़े वसूलियों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटा कर समायोजित किया जाता है, निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखों में दिखाये गये हैं ।

2018-19 के विनियोग लेखों एवं वित्त लेखों के अनुसार कुल व्यय का मिलान निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :–

	राजस्व	**पूंजीगत**	**कुल**
			(हजार रूपयों में)
<u>प्रभारित</u> :–			
विनियोग लेखों के अनुसार कुल खर्च	3156,93,83	3637,04,75	6793,98,58
घटायें–परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	9,22	0	9,22
वित्त लेखों की विवरणी संख्या – 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	3156,84,61	3637,04,75	6793,89,36
स्वीकृत :–			
विनियोग लेखों के अनुसार कुल खर्च	33773,44,53	5777,13,86	39550,58,39
घटायें–परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	78,71,87	19,87,10	98,58,97
वित्त लेखों की विवरणी संख्या – 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	33694,72,66	5757,26,76	39451,99,42

विनियोग लेखों का सार (समापन)

मैं, अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूं कि वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखों में शामिल कुल व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

(लीला धर जोशी)
लेखा नियन्त्रक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली 21 JUL 2020
दिनांक..

प्रतिहस्ताक्षरित

(संदीप कुमार)
सचिव (वित्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली 21 JUL 2020
दिनांक..

विनियोग लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के इस वर्ष के वित्त लेखे, सरकार की इस वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों को प्रस्तुत करते हैं, साथ ही ये राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर निकाली गयी देयताओं और परिसम्पतियों द्वारा प्रकट किये गये वित्तीय परिणामों को भी प्रदर्शित करते हैं, जिन्हे एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

विनियोग लेखे, जिनको तैयार करने का दायित्व लेखा नियंत्रक तथा प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का है, की जाँच मेरे निर्देशन में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम 1971, की अपेक्षाओं के अनुसार की गयी तथा इन लेखाओं पर मेरी राय इस लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गयी थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गयी राशियों एवं प्रकट की गयी सूचना से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच शामिल है।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित एवं प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना आधार पर लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपने सम्पूर्ण ज्ञान और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा इस वर्ष या विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे, मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार पर पृथक रूप से प्रस्तुत किये जा रहे मेरे वित्तीय, अनुपालना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

ह०

(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक : 2 8 JUL 2020

स्थान : नई दिल्ली

अनुदान संख्या 1 – विधान सभा

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित		80,00	65,43	–14,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं
स्वीकृत –				
मूल	21,71,00)			
पूरक	1,00)	21,72,00	20,62,58	–1,09,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–1,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 14.57 लाख रूपये की कुल बचत थी (80.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण विनियोजन का 18.21 प्रतिशत थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 109.42 लाख रूपये की कुल बचत थी (2172.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 5.03 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

विधान मण्डल
मुख्यशीर्ष "2011"
संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान

मू.	2126.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–1.00)	2126.00	2033.38	–92.62

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2011"** – संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान – राज्य/संघ क्षेत्र विधान – विधान मंडल सचिवालय – 119.78 लाख रूपये की बचत (1166.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम यात्राओं एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 2 – सामान्य प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित –		17,45,25	12,85,44	–4,59,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,14,00
स्वीकृत –				
मूल	422,68,75)			
पूरक	104,25,00)	526,93,75	198,64,23	–328,29,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–175,56,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 459.81 लाख रूपये की कुल बचत थी (1745.25 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 26.34 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तगर्त हुई :–

				(लाख रूपयों में)
उप राज्यपाल सचिवालय				
मुख्य शीर्ष "2012"				
राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक				
मू	1371.00)			
पु	–179.00)	1192.00	1025.89	–166.11
लोक आयुक्त				
मुख्य शीर्ष "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवायें				
मू	372.00)			
पु	–35.00)	337.00	258.31	–78.69

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2012"** – राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक – संघ प्रशासक – सचिवालय – 260.94 लाख रूपये की बचत (1205.90 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, ओ.टी.ए. दावों के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने, ओ.टी.ए. दावों का निपटारा न होने एवं कुछ अनुबंधित पेशेवरों की सेवाओं के जारी न रहने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – विशेष जांच आयोग – लोकायुक्त – 113.69 लाख रूपये की बचत (372.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं वित्त विभाग के आर्थिक निर्देशों का पालन करने एवं विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का सेमिनार/संगोष्ठी आयोजित न करने के कारण हुई।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 32829.52 लाख रूपये की कुल बचत थी (52693.75 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 10425.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 62.30 प्रतिशत थी ।

36.00 लाख रूपये की राशि पांच उपशीर्षो के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

मंत्री परिषद

मुख्यशीर्ष "2013"

मंत्री परिषद

मू.	922.00)			
पु.	–30.00)	892.00	670.12	–221.88

सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवायें

मू.	7212.50)			
पु.	629.50)	7842.00	6335.11	–1506.89

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	423.00)			
पु .	0.20)	423.20	246.57	–176.63

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	446.00)			
पु .	–4.00)	442.00	150.62	–291.38

जन शिकायत आयोग

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	500.00)			
पु .	–94.00)	406.00	336.54	–69.46

प्रशिक्षण निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	786.00)			
पु .	–81.00)	705.00	680.40	–24.60

सतर्कता निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	978.00)			
पु .	−23.00)	955.00	820.13	−134.87

सूचना एवं प्रसारण निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2220"

सूचना एवं प्रसारण

मू.	25742.00)			
पु .	−15144.00)	10598.00	5088.45	−5509.55

दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड

मुख्यशीर्ष "2051"

लोक सेवा आयोग

मू.	3513.75)			
पू.	10001.00)			
पु .	−2385.00)	11129.75	4671.23	−6458.52

प्रशासनिक सुधार विभाग

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवायें

मू.	1889.00)			
पु.	−406.00)	1483.00	699.98	−783.02

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2013"** – मंत्री परिषद– अन्य व्यय – 230.28 लाख रूपये की बचत (632.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विद्युतीय वस्तुओ, कम्प्यूटर मदों एवं नए वाहन की खरीद के प्रस्तावो के पूरा न होने एवं मंत्रियों एवं कर्मचारियों की विदेशी यात्राओं के क्रियान्वयन न होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवाएं – सचिवालय – (i) वित्त विभाग – 126.51 लाख रूपये की बचत (551.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

   (ii) गृह विभाग – 141.29 लाख रूपये की बचत (405.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कर्मचारियों के स्थानांतरण होने एवं व्यक्तिगत दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

   (iii) मंत्री परिषद कार्यालय – 343.39 लाख रूपये की बचत (737.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, बिलों/दावों के प्राप्त न होने, विदेश यात्राओं के न होने एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण होने के कारण हुई।

   (iv) सुरक्षा व्यवस्था – 191.98 लाख रूपये की बचत (882.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कर्मचारियों का स्थानांतरण होने एवं व्यक्तिगत दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – अन्य व्यय – पुलिस शिकायत आयोग – 176.43 लाख रूपये की बचत (423.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिसम्बर 2018 के महीने में पी.सी.ए. की स्थापना होने एवं वाहनों व कम्प्यूटरों की खरीद न होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम – स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना – दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन – 237.21 लाख रूपये की बचत (350.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मृत्यु के कारण पेंशन धारियों की संख्या में कमी होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – विशेष जांच आयोग – जन शिकायत आयोग – 163.46 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, बिलों/दावों की प्राप्ति न होने एवं वार्षिक रिर्पोटो के भुगतान एवं वाहनों की खरीद के प्रस्तावो पर अंतिम रूप से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – प्रशिक्षण – प्रशिक्षण निदेशालय – 105.60 लाख रूपये की बचत (786.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – सतर्कता – सतर्कता निदेशालय – 157.87 लाख रूपये की बचत (978.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, बिलों के प्राप्त न होने एवं जी.ई.एम. में कुछ तकनीकी समस्याओ की वजह से डेस्कटॉप एवं प्रिंटर की खरीद के लिए नीलामी प्रक्रिया के अमल में न लाने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "2220"** – सूचना एवं प्रसारण – चलचित्र – निर्देशन एवं प्रशासन – जन सम्पर्क निदेशालय – 20648.55 लाख रूपये की बचत (25737.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, कम्प्यूटर, यू.पी.एस. व प्रिंटरों की खरीद न होने तथा विज्ञापन व प्रचार के बिलों का मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण उन पर अंतिम निर्णय नही लिये जा सकने के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "2051"** – लोक सेवा आयोग – कर्मचारी चयन आयोग – दिल्ली सरकार के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड – 8843.52 लाख रूपये की बचत (13514.75 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 10001.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं कम संख्या में परीक्षाओं का आयोजन करने के कारण हुई।

10. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवायें – सचिवालय – (i) नई पहल एवं प्रशासनिक सुधार– 140.48 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एन.आई.सी. एस.आई द्वारा बिलों को प्रस्तुत न करने के कारण कॉल सेंटर सेवा "1031" का भुगतान नहीं किए जा सकने के कारण हुई।

(ii) मुख्यमंत्री शहरी नेतृत्व फेलो कार्यक्रम (एम.यू.एल.एफ.पी.)– 246.82 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(iii) सार्वजनिक सेवाओं का द्वार पर वितरण –752.95 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति एवं सार्वजनिक सेवाओं के द्वार पर वितरण हेतू नियुक्त एजेंसी द्वारा नियमित रूप से बिलों को प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 198.75 लाख रूपये की बचत तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें एक उपशीर्ष के अन्तर्गत 78.00 लाख रूपये के अधिक व्यय से अशंतः प्रतिसंतुलित की गयी थी जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

अनुदान संख्या 3 – न्याय प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व

प्रभारित				
मूल	312,65,00)			
पूरक	25,00)	312,90,00	262,35,08	–50,54,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–25,49,83
स्वीकृत –				
मूल	1166,47,00)			
पूरक	142,51,53)	1308,98,53	1014,02,79	–294,95,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–82,91,70
पूंजीगत				
स्वीकृत –				
मूल	2,00,00)			
पूरक	15,00,00)	17,00,00	16,96,58	–3,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल 5054.92 लाख रूपये की बचत थी (31290.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 25.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 16.15 प्रतिशत थी ।

100.00 लाख रूपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "2014"** – न्याय प्रशासन – उच्च न्यायालय – उच्च न्यायालय के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – 100.00 लाख रूपये – योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुईः–

(लाख रूपयों में)

उच्च न्यायालय
मुख्यशीर्ष "2014"
न्याय प्रशासन

मू.	31189.00)			
पु.	–2698.83)	28490.17	26151.95	–2338.22

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2014"** – न्याय प्रशासन – उच्च न्यायलय – (i) निर्देशन एवं प्रशासन – 4798.94 लाख रूपये की बचत (30751.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः बकायों का भुगतान न होने, रिक्त पदों, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने एवं स्टोर मदो की कम खरीद के कारण हुई।

   (ii) दिल्ली उच्च न्यायालय का मध्यस्थता केन्द्र – 138.11 लाख रूपये की बचत (338.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम बिलों के कारण हुई।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 29495.74 लाख रूपये की बचत थी (130898.53 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 14251.53 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 22.53 प्रतिशत थी ।

119.48 लाख रूपये की राशि दो उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "2014"** – न्याय प्रशासन – विशेष न्यायालय – निर्वाचित विधायकों एवं सांसदों से सम्बधित आपराधिक मामलों के परिक्षण व निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना – 118.48 लाख रूपये – राशि/प्राधिकार पत्र के वित्त वर्ष 2018–19 के अंतिम समय में प्राप्त होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

उच्च न्यायालय

मुख्यशीर्ष "2014"

न्याय प्रशासन

मू.	1154.00)			
पू.	1.00)			
पु	–201.17)	953.83	772.79	–181.04

सिविल एवं सत्र न्यायालय

मू.	91337.50)			
पू.	13233.30)			
पु.	–6940.30)	97630.50	78187.67	–19442.83

अभियोजन निदेशालय

मू.	3933.00)			
पू.	509.00)			
पु.	–92.00)	4350.00	4294.39	–55.61

विधि विभाग

मू.	7048.00)			
पू.	332.29)			
पु.	–51.85)	7328.44	6159.27	–1169.17

मुख्यशीर्ष "2052"				
सचिवालय सामान्य सेवायें				
मू.	697.00)			
पु.	–157.44)	539.56	521.06	–18.50
मुख्यशीर्ष "2235"				
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				
मू.	7500.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–1.00)	7500.00	7500.00	..
चुनाव कार्यालय				
मुख्यशीर्ष "2015"				
चुनाव				
मू.	4812.00)			
पू.	174.94)			
पु.	–829.94)	4157.00	3827.97	–329.03

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2014"** – न्याय प्रशासन – (क) उच्च न्यायालय – दिल्ली न्यायिक अकादमी – निर्देशन एवं प्रशासन – 381.21 लाख रूपये की बचत (1154.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, रिक्त पदों, ओ.टी.ए. का भुगतान न होने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, एन.एल.यू. को बिजली व पानी के शुल्क का भुगतान अभी तक तय न होने एवं संबंधित एजेंसियों/राज्यों के द्वारा जजों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के कारण हुई।

(ख) सिविल एवं सत्र न्यायालय – (i) सत्र न्यायालय – 24222.00 लाख रूपये की बचत (97396.44 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 12422.44 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने एवं वेतन बकायों के भुगतान के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने, विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन न होने तथा कुछ मदों की खरीद न होने के कारण हुई।

(ii) जिला एवं सत्र न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण – 112.52 लाख रूपये की बचत (175.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अदालत/कार्यालय के काम की स्कैनिंग बाहर से कराने के संबंध में स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) फौजदारी अदालतें – न्यायिक मेजिस्ट्रेटों की अदालतें – 2048.61 लाख रूपये की बचत (6999.36 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 810.86 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने एवं प्रशासनिक कारणों से कुछ मदों को न खरीदें जाने के कारण हुई।

(घ) विधि सलाहकार और परामर्श – (i) अभियोजन स्कन्ध – 147.61 लाख रूपये की बचत (4442.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 509.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः डी.ई.ओ. के पूर्ण रिक्त पदों के न भरने एवं ए.सी. व यू.पी.एस. की खरीद न होने के कारण हुई।

(ii) विधि अधिकारी – 264.84 लाख रूपये की बचत (1250.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों, वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुछ बिलों पर अनुमोदन प्राप्त न होने एवं वित्तीय वर्ष के अंत में कुछ बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण – 411.83 लाख रूपये की बचत (1800.52 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यालय के स्थानांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने के कारण हुई।

(ड.) परिवार अदालतें – परिवार अदालतों की स्थापना – 241.99 लाख रूपये की बचत (2911.29 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 181.29 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम्प्यूटरों, फोटोकॉपी मशीनों तथा सरकारी प्रेस में फॉर्म व कवर के खरीद प्रस्तावों के लंबित होने एवं बाहरी कर्मचारियों के पिछले कुछ महीनों के वेतन व मजदूरी के बिलों को एजेंसी द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवायें – सचिवालय – विधि विभाग – 175.94 लाख रूपये की बचत (697.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, कम बिलों, कम दावों, कम यात्राओं एवं कम खरीद के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – पुनर्वास – अन्य व्यय – अपराध पीड़ितों के लिए मुआवज़ा – दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को सहायता के लिए अनुदान – 880.00 लाख रूपये की बचत (7500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2015"** – चुनाव – (क) मत सूची को तैयार करना व छपवाना – 503.96 लाख रूपये की बचत (800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के कारण हुई।

(ख) राज्य संघ शासित क्षेत्र विधानमंडल के लिए चुनाव कराने पर व्यय – चुनावों पर व्यय – 1154.45 लाख रूपये की बचत (1250.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – पुर्नवास – अन्य व्यय – केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि योजना – 879.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2015"** – चुनाव – संसद के लिए चुनाव कराने पर व्यय – लोक सभा चुनाव – 585.33 लाख रूपये का अधिक व्यय (800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 3.42 लाख रूपये की बचत थी (1700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1500.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 0.20 प्रतिशत थी ।

अनुदान संख्या 4 – वित्त

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व				
प्रभारित				
मूल	10,00)			
पूरक	1,25,70)	1,35,70	1,13,95	–21,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं
स्वीकृत –				
मूल	320,61,00)			
पूरक	10,00,00)	330,61,00	246,69,63	–83,91,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–30,91,70
पूंजीगत				
स्वीकृत		710,15,00	2,23,17	–707,91,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–702,15,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल 21.75 लाख रूपये की बचत थी (135.70 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 125.70 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 16.02 प्रतिशत थी ।

10.00 लाख रूपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में कुल 8391.37 लाख रूपये की बचत थी (33061.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 25.38 प्रतिशत थी ।

361.00 लाख रूपये की राशि दस उपशीर्षो के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमे निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "3451"** – सचिवालय आर्थिक सेवाएं – जिला योजना मशीनरी – दिल्ली में निवेशों व उद्यमों के लिए ब्यूरो को सहायता अनुदान – 100.00 लाख रूपये – अनुदेयी संस्था द्वारा अनुदान की माँग न किये जाने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2040"–** बिक्रीकर – अन्य व्यय – वैट प्रणाली को लागू करना – 100.00 लाख रूपये – टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. को नियत अवधि के दौरान स्वीकृति आदेश जारी न करने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

प्रधान लेखा कार्यालय
मुख्यशीर्ष "2054"
राजकोष एवं लेखा प्रशासन

मू.	5800.00)			
पु.	–375.00)	5425.00	4880.60	–544.40

आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय
मुख्यशीर्ष "2016"
लेखा परीक्षा

मू.	2385.00)			
पु.	–118.00)	2267.00	2217.30	–49.70

योजना तथा मूल्यांकन निदेशालय
मुख्यशीर्ष "2052"
सचिवालय सामान्य सेवाएं

मू.	296.00)			
पु.	–115.20)	180.80	120.17	–60.63

मुख्यशीर्ष "3451"
सचिवालय आर्थिक सेवाएं

मू.	1813.00)			
पु.	–758.30)	1054.70	801.08	–253.62

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
मुख्यशीर्ष "3454"
जनगणना सर्वेक्षण व आंकड़े

मू.	983.00)			
पू.	1000.00)			
पु.	–35.00)	1948.00	1263.75	–684.25

उत्पाद शुल्क एवं मनोरंजन कर विभाग
मुख्यशीर्ष "2039"
राज्य उत्पाद शुल्क

मू.	3521.79)			
पु.	203.09)	3724.88	3496.96	–227.92

व्यापार एवं कर विभाग
मुख्यशीर्ष "2040"
बिक्री कर

मू.	15972.00)			
पु.	–1685.00)	14287.00	10886.44	–3400.56

सूचना एवं तकनीकी विभाग
मुख्यशीर्ष "3454"
जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी

मू.	1071.00)			
पु.	–201.00)	870.00	807.68	–62.32

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2054"** – राजकोष एवं लेखा प्रशासन – लेखा तथा राजकोष निदेशालय – (i) लेखा निदेशालय – 746.95 लाख रूपये की बचत (5350.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों तथा पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम खरीद, कम बिलों, जी.पी.एफ. खातों का डिजिटलीकरण न होने, हार्डवेयर मदों की खरीद न होने एवं चिकित्सीय/टी.ए. दावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

   (ii) अन्य व्यय – प्रधान लेखा कार्यालय – ई.डी.पी. प्रकोष्ठ – 172.45 लाख रूपये की बचत (450.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2016"**– लेखा परीक्षा – सिविल लेखा परीक्षा तथा लेखा कार्यालय – लेखा परीक्षा निदेशालय – 167.70 लाख रूपये की बचत (2385.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों, कम बिलों एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवाएं –सचिवालय –दिल्ली संवाद व विकास आयोग – 175.83 लाख रूपये की बचत (296.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, कार्यालय की वेबसाइट के पुनर्विकास एवं उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय न होने एवं विदेश यात्राओं का आयोजन न होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "3451"** – सचिवालय आर्थिक सेवाएं – जिला योजना मशीनरी – (i) योजना तथा मूल्यांकन विभाग – 246.17 लाख रूपये की बचत (1018.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों, खरीद प्रस्तावों पर अनुमोदन/कार्यान्वयन न होने एवं रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

   (ii) सुधारों की तीव्र प्रगति के लिए आधुनिकीकरण एवं क्षमता प्रकोष्ठ – 171.04 लाख रूपये की बचत (195.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के कारण हुई।

   (iii) कार्यान्वयन आधारित निति निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बड़ा डाटा एवं अन्य मशीनरी एवं उपकरण गतिविधियों हेतु कार्यक्रम – 494.71 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "3454"**— जनगणना, सर्वेक्षण व आंकड़े – सर्वेक्षण एवं आंकड़े – (क) महत्वपूर्ण आंकड़े – घरेलू स्तर पर वास्तविक समय के डेटा का संग्रह – 526.25 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः क्षेत्रीय सर्वेक्षकों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण सर्वेक्षण कार्य उसी वित्तीय वर्ष में समाप्त न हो सकने के कारण हुई।

(ख) आर्थिक सलाह और सांख्यिकी – अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय – 188.00 लाख रूपये की बचत (978.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों, कम संख्या में दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं कम्प्यूटरों को खरीदने के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन वर्ष के अंत में प्राप्त होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2039"** – राज्य उत्पाद शुल्क – शराब – विभागीय कमीशन दुकाने – 118.55 लाख रूपये की बचत (311.39 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, कम बिलों, कम दावों एवं कम प्रचार के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2040"**— बिक्रीकर – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – 461.42 लाख रूपये की बचत (1140.69 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम बिजली बिलों एवं कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) संग्रह प्रभार – 1645.52 लाख रूपये की बचत (8827.37 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम दावों के प्राप्त होने एवं प्रशासनिक कारणों से सुरक्षा एजेंसियों व वीडियोग्राफरों के बिलों का निस्तारण नहीं करने के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय – (i) कम्प्यूटरीकरण प्रणाली – 1616.81 लाख रूपये की बचत (2578.56 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने, कम दावों के प्राप्त होने, कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद पर अंतिम निर्णय न होने एवं प्रशासनिक कारणों से कुछ बिलों का निस्तारण नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ii) उपयोगकर्ता प्रभार – जी.एस.टी.एन. – 1257.00 लाख रूपये की बचत (2210.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम योगदान एवं प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "3454"**— जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी – सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी – कम्प्यूटर सेवा – सूचना तकनीकी विभाग – 145.77 लाख रूपये की बचत (371.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 147.89 लाख रूपये की बचत दो उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2039"** – राज्य उत्पाद शुल्क – निर्देशन और प्रशासन – जिला कार्यकारी कार्यालय – 189.65 लाख रूपये का अधिक व्यय (2545.33 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2040"–** बिक्रीकर – अन्य व्यय – बिक्रीकर विभाग प्रशासन में ढ़ांचागत बदलाव – 100.44 लाख रूपये का अधिक व्यय (1005.38 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक दावों के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त 83.07 लाख रूपये का अधिक व्यय एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुआ जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम था ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 70791.83 लाख रूपये की बचत थी (71015.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 99.68 प्रतिशत थी ।

70400.00 लाख रूपये की राशि दो उपशीर्षो के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमे निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "7615"** – अन्य ऋण – अन्य ऋण – स्थानीय निकायों को उपाय और साधने के लिए ऋण – 70000.00 लाख रूपये – ऋण जारी न होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "4059"** – सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय – कार्यालय भवन – निर्माण – व्यापार एवं कर एनैक्सी भवन – 400.00 लाख रूपये – कम मरम्मत कार्यों के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(लाख रूपयों में)

व्यापार एवं कर विभाग
मुख्यशीर्ष "4059"
सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	1015.00)			
पू.	–215.00)	800.00	223.17	–576.83

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपर्शीषों के अंतर्गत हुईः–

1. **मुख्यशीर्ष "4059"** – सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय – **(अ)** कार्यालय भवन – निर्माण – भवन का नवीनीकरण/मरम्मत – 243.53 लाख रूपये की बचत बचत (400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

   (ब) सामान्य – अन्य व्यय – व्यापार एवं कर मोटर वाहन – 148.30 लाख रूपये की बचत (215.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः नए वाहनों की खरीद न होने एवं प्रशासनिक कारणों से किराये पर लिये गये निजी वाहनों का भुगतान न किये जा सकने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 5 – गृह

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व

प्रभारित				
मूल	60,00)			
पूरक	10,00)	70,00	37,83	–32,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,00
स्वीकृत –				
मूल	666,96,00)			
पूरक	101,00)	667,97,00	588,31,37	–79,65,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–15,26,00
पूँजीगत				
स्वीकृत –				
मूल	36,77,00)			
पूरक	13,05,00)	49,82,00	11,53,03	–38,28,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–3,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 32.17 लाख रूपये की कुल बचत थी (70.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 10.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 45.95 प्रतिशत थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में कुल 7965.63 लाख रूपये की बचत थी (66797.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 101.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 11.92 प्रतिशत थी ।

101.00 लाख रूपये की राशि दो उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "2056"–** कारागार – कारागार – ई–कारागार परियोजना का कार्यान्वयन (सीएसएस) – 100.00 लाख रूपये – आई.टी. विभाग की तकनीकी कमिटी की सहमति वित्त वर्ष 2018–19 के अंत में प्राप्त होने के कारण प्रस्ताव पर अमल नहीं किया जा सका।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(लाख रूपयों में)

केन्द्रीय कारागार

मुख्यशीर्ष "2056"

जेल

मू.	35500.00)			
पू.	100.00)			
पु.	–345.00)	35255.00	32332.07	–2922.93

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य

मू.	3876.00)			
पु.	825.00)	4701.00	4663.76	–37.24

दिल्ली अग्निशमन सेवा

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	20638.00)			
पु.	–1844.00)	18794.00	16401.78	–2392.22

अपराध विज्ञान प्रयोगशाला

मुख्यशीर्ष "2055"

अपराध विज्ञान

मू.	4590.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–243.00)	4348.00	3390.59	–957.41

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2056"–** जेल – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – जेल स्थापना – 2123.91 लाख रूपये की बचत (33000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं प्रधान लेखाकार जनरल (सीविल लेखा परीक्षा), चेन्नई से लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र मिलने के बाद टी.एस.पी. फोर्स जोकि केन्द्रीय जेल में तैनात है उससे घटी हुई राशि के बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

   (ख) जेल उत्पादन – 1044.02 लाख रूपये की बचत (2500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवायें – अग्नि शमन एवं नियंत्रण – (i) बचाव एवं नियंत्रण – 4000.18 लाख रूपये की बचत (19760.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने संपत्ति कर की अंतिम राशि प्राप्त न होने एवं डी.एफ.एस. में रिकॉडों के डिजिटलीकरण के पूरा न होने के कारण हुई ।

   (ii) प्रशिक्षण – 183.93 लाख रूपये की बचत (555.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम संख्या में यात्राओं एवं 594 प्रशिक्षणार्थीयों के भोजन के भुगतान एवं किट व उपकरणों की खरीद के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2055" –** पुलिस – अपराध विज्ञान – अपराध विज्ञान प्रयोगशाला – 1199.41 लाख रूपये की बचत (4590.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम यात्राओं, कम बिलों, कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने, कुछ खरीद प्रस्तावों के अमल में न आने एवं अनुबंधित कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र देने व अनुपस्थित रहने के कारण वेतन में हुई कटौती के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 52.11 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्षो के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2210"–** चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–ऐलौपेथी – चिकित्सालय एवं औषद्यालय – केन्द्रीय जेल अस्पताल – 787.76 लाख रूपये का अधिक व्यय (3876.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने, बिलों/दावों एवं खरीद के अधिक होने के कारण हुआ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 3828.97 लाख रूपये की बचत थी (4982.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1305.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 76.85 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षो के अंतर्गत हुई :–

(लाख रूपये में)

केन्द्रीय कारागार				
मुख्यशीर्ष "4070"				
अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूंजी परिव्यय				
मू.	800.00)			
पु.	–600.00)	200.00	129.43	–70.57
दिल्ली अग्निशमन सेवा				
मुख्यशीर्ष "4070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूॅंजी परिव्यय				
मू.	2000.00)			
पू.	1303.00)			
पु.	497.00)	3800.00	553.25	–3246.75
अपराध विज्ञान प्रयोगशाला				
मुख्यशीर्ष "4055"				
पुलिस पर पूॅंजी परिव्यय				
मू.	850.00)			
पू.	1.00)			
पु.	99.00)	950.00	466.35	–483.65

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षो के अंतर्गत हुईः–

1. **मुख्यशीर्ष "4070"–** अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – अन्य व्यय – केन्द्रीय कारागार– 670.57 लाख रूपये की बचत (800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं एम्बुलेंस के खरीद प्रस्तावों के कार्यान्वित न होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "4070"–** अन्य प्रशासनिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय – अन्य व्यय – दिल्ली अग्निशमन सेवा – 2749.75 लाख रूपये की बचत (3303.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1303.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः 101 अग्निशमन के उपकरणों की खरीद पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "4055"–** पुलिस पर पूँजी परिव्यय – अन्य व्यय – अपराध विज्ञान प्रयोगशाला – 384.65 लाख रूपये की बचत (851.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्रशासनिक कारणों से कुछ खरीद प्रस्तावों के कार्यान्वित न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 6 – शिक्षा

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व				
प्रभारित –				
मूल	55,00)			
पूरक	5,83)	60,83	35,75	–25,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–5,00
स्वीकृत –				
मूल	11969,12,50)			
पूरक	47,00)	11969,59,50	8833,77,21	–3135,82,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–2700,59,83
पूंजीगत				
स्वीकृत –				
मूल	490,43,50)			
पूरक	150,01,00)	640,44,50	250,64,93	–389,79,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–334,06,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 25.08 लाख रूपये की कुल बचत थी (60.83 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5.83 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 41.22 प्रतिशत थी।

15.83 लाख रूपये की राशि तीन उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहीं।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 313582.29 लाख रूपये की कुल बचत थी (1196959.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 47.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 26.19 प्रतिशत थी।

5961.00 लाख रूपये की राशि 42 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "2204"** – खेल एवं युवा सेवाएं – खेल व क्रीडा – (i) खेलकूद संघों को सहायता अनुदान – 100.00 लाख रूपये – योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण ।

   (ii) दिल्ली खेल परिषद – 100.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण ।

2. **मुख्यशीर्ष "2203"–** तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान – (i) तकनिकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (सीएसएस) – 100.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने के कारण।

(ii) दिल्ली कौशल/व्यावसायिक विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान – 100.00 लाख रूपये – योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण।

(iii) अनुसंधान अनुदान योजना – 500.00 लाख रूपये – स्वीकृत व अनुमोदित दिशानिर्देशों के न होने के कारण अनुदान जारी नहीं किया जा सका।

(iv) संस्थान/उद्योग सहभागिता योजना – 100.00 लाख रूपये – कम बिलों के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "2230"** – श्रम एवं रोजगार – प्रशिक्षण – (क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान – व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना – विश्व बैंक अंश (सीएसएस) – 100.00 लाख रूपये – कम मरम्मत कार्यों के कारण।

(ख) अन्य व्यय – कौशल विकास पहल योजना (सीएसएस) – 500.00 लाख रूपये – कम बिलों के कारण ।

4. **मुख्यशीर्ष "2205"** – कला एवं संस्कृति – (क) कला व संस्कृति का विकास – (i) नई भाषा अकादमियों की स्थापना – 500.00 लाख रूपये – रिक्तियों, कम खरीद होने एवं विभिन्न प्रशासनिक कारणों से योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ii) सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए नई पहल – गली थियेटर एवं प्रदर्शन कलाएं – 600.00 लाख रूपये – कम खरीद होने, कम बिलों एवं विभिन्न प्रशासनिक कारणों से योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण ।

(iii) सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए नई पहल – 11 कार्यक्रम अधिकारियों की भर्ती – 100.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण ।

(ख) अभिलेखागार – हैरिटेज क्लब की स्थापना – 100.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण ।

5. **मुख्यशीर्ष "2202"–** सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – (क) विश्वविद्यालयों को सहायता – पूर्व बाल्यावस्था देखभाल केन्द्र के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लिए सहायता अनुदान – 300.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने एवं ए.यू.डी. से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

(ख) गैर–सरकारी कॉलेजों को सहायता – कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु महाविद्यालयों को सहायता अनुदान – 100.00 लाख रूपये – ए.यू.डी. से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

(ग) उच्च शिक्षा संस्थान – (i) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (सीएसएस) – 1000.00 लाख रूपये – कम बिलों/यात्राओं एवं भारत सरकार से कम निधि प्राप्त होने तथा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया की शुरूआत वित्तीय वर्ष के अंत में होने के कारण ।

(ii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (राज्य अंश) – 500.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति एवं राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया की शुरूआत वित्तीय वर्ष के अंत में होने के कारण।

(iii) दिल्ली उच्च शिक्षा गारंटी योजना – 500.00 लाख रूपये – कम बिलों के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2202"

सामान्य शिक्षा

मू.	1056959.89)			
पू.	22.00)			
पु.	–234929.44)	822052.45	789821.14	–32231.31

मुख्यशीर्ष "2204"

खेल एवं युवा सेवायें

मू.	15796.11)			
पू.	1.00)			
पु.	–4054.56)	11742.55	9832.31	–1910.24

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2203"

तकनीकी शिक्षा

मू.	30390.74)			
पू.	2.00)			
पु.	–4020.76)	26371.98	23004.12	–3367.86

मुख्यशीर्ष "2230"

श्रम एवं रोजगार

मू.	35773.26)			
पू.	1.00)			
पु.	–23485.04)	12289.22	11042.25	–1246.97

जी.बी. पंत इंजीनियरिंग कॉलेज

मुख्यशीर्ष "2203"

तकनीकी शिक्षा

मू.	1276.00)			
पु.	–198.03)	1077.97	888.96	–189.01

ललित कला महाविद्यालय

मुख्यशीर्ष "2205"

कला एवं संस्कृति

मू.	1345.00)			
पु.	–156.00)	1189.00	852.44	–336.56

भाषा विभाग
मुख्यशीर्ष "2202"
सामान्य शिक्षा

मू.	1775.00)			
पू.	2.00)			
पु.	307.00)	2084.00	2040.28	–43.72

मुख्यशीर्ष "2205"
कला एवं संस्कृति

मू.	10815.00)			
पू.	13.00)			
पु.	–539.00)	10289.00	7843.89	–2445.11

पुरातत्व विभाग
मुख्यशीर्ष "2205"
कला एवं संस्कृति

मू.	877.00)			
पू.	2.00)			
पु.	–360.00)	519.00	485.23	–33.77

दिल्ली अभिलेखागार
मुख्यशीर्ष "2205"
कला एवं संस्कृति

मू.	1502.50)			
पू.	1.00)			
पु.	–348.00)	1155.50	969.62	–185.88

दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान
मुख्यशीर्ष "2203"
तकनीकी शिक्षा

मू.	1055.00)			
पु.	215.00)	1270.00	1176.55	–93.45

उच्च शिक्षा निदेशालय
मुख्यशीर्ष "2202"
सामान्य शिक्षा

मू.	36910.00)			
पू.	3.00)			
पु.	–2593.00)	34320.00	33255.78	–1064.22

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जाफरपुर
मुख्यशीर्ष "2203"
तकनीकी शिक्षा

मू.	636.00)			
पु.	–49.00)	587.00	475.05	–111.95

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**– सामान्य शिक्षा – **(अ)** प्रारंभिक शिक्षा – प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायो को सहायता – (i) दिल्ली नगर निगम – प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 3750.00 लाख रूपये की बचत (15000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली नगर निगम – प्राथमिक शिक्षा के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 1625.00 लाख रूपये की बचत (6500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ख) सर्व शिक्षा अभियान – (i) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) – 113395.00 लाख रूपये की बचत (140000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) सर्व शिक्षा अभियान (सीएसएस) – 191852.17 लाख रूपये की बचत (210000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश के देरी से जारी होने के कारण हुई।

(ग) स्कूल में मिड डे मील के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम – (i) मिड डे मील कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान (सीएसएस) – 244.47 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा कम केन्द्रीय अंश जारी करने के कारण हुई।

(ii) मिड डे मील कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान (राज्य अंश) – 209.12 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा कम केन्द्रीय अंश जारी करने के कारण हुई।

(घ) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) बच्चो के लिए मिड डे मील (सीएसएस) (एससीएसपी) – 384.50 लाख रूपये की बचत (700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा कम केन्द्रीय अंश जारी करने के कारण हुई।

(ब) माध्यमिक शिक्षा – (क) निरीक्षण – 477.29 लाख रूपये की बचत (3021.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने एवं कम दावों/बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई ।

(ख) अनौपचारिक शिक्षा – पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा माध्यमिक स्तर पर पर्यवेक्षीय अनुदेश – 325.20 लाख रूपये की बचत (786.93 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों व कम खरीद होने एवं प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर बिलों के स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(ग) शिक्षक प्रशिक्षण – एससीईआरटी को सहायता अनुदान – 2520.00 लाख रूपये की बचत (5370.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई ।

(घ) पाठ्य पुस्तकें – (i) पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण – 831.36 लाख रूपये की बचत (10700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(ii) स्कूली पुस्तकालयों में सुधार –688.68 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

(ड) सरकारी माध्यमिक स्कूल – (i) सरकारी माध्यमिक स्कूल – 2154.39 लाख रूपये की बचत (159123.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, एम.ए.सी.पी. व प्रोन्नति के मामलों का निपटारा न होने एवं प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर बिलों के स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(ii) युवा योजना – 1493.75 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम प्रकाशन होने व कम बिलों एवं विद्यालयों द्वारा निधि का कम उपयोग किये जाने के कारण हुई।

(iii) विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा का सुधार एवं विस्तार – 358.21 लाख रूपये की बचत (405.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर बिलों के स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(iv) स्कूलों में शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन – 594.43 लाख रूपये की बचत (976.32 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, एम.ए.सी.पी. व प्रोन्नति के मामलों का निपटारा न होने एवं प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर बिलों के स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(v) समूचे स्कूली स्तर पर विज्ञान की शिक्षा का विस्तार – 104.11 लाख रूपये की बचत (169.55 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम बिलों के कारण हुई।

(vi) स्कूलों में योग शिक्षा का परिचय – 1184.34 लाख रूपये की बचत (4882.37 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, एम.ए.सी.पी. व प्रोन्नति के मामलों का निपटारा न होने एवं प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर बिलों के स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(च) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – (i) कर्मचारियों के वेतन हेतु सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता – 12449.45 लाख रूपये की बचत (67201.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर बिलों के स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(ii) अन्य व्ययों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता – 130.25 लाख रूपये की बचत (250.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर बिलों के स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(छ) अन्य व्यय – (i) सर्वोत्तम विधार्थियों, विद्यालयों एवं अध्यापकों को प्रोत्साहन – 160.60 लाख रूपये की बचत (195.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम पुरस्कार आवंटित करने के कारण हुई।

(ii) छात्रों को विद्यालय वर्दियों पर छूट के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान – 147.55 लाख रूपये की बचत (1700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(iii) निजी विद्यालयों में निःशुल्क कोटा के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त छात्रों को पाठ्य पुस्तक एवं वर्दी हेतु सहायता अनुदान – 262.40 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं जिलों द्वारा निधि के कम उपयोग करने के कारण हुई ।

(स) सामान्य – निर्देशन एवं प्रशासन – (i) निर्देशन एवं प्रशासन – 443.72 लाख रूपये की बचत(3124.84 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, एम.ए.सी.पी. व प्रोन्नति के मामलों का निपटारा न होने एवं प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर बिलों के स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(ii) बाल अधिकार संरक्षण के लिए दिल्ली आयोग को सहायता अनुदान (डीसीपीसीआर) – 750.00 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) शिक्षा व्यवसायिक मार्गदर्शन परिषद् (ईवीजीसी) (मुस्कान कार्यक्रमों सहित योजना) – 109.37 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रशासनिक शाखा द्वारा निधियों के उपयोग न करने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2204"** – खेल एवं युवा सेवाएं – (क) छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – स्कूलों में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा – 675.27 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं विद्यालयों द्वारा निधियों का कम उपयोग करने के कारण हुई।

(ख) गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – उत्कृष्टता अभियान– खिलाडियों के लिए वित्तीय सहायता – 730.68 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

(ग) खेल व क्रीड़ा – (i) खेलों को प्रोत्साहन – 229.75 लाख रूपये की बचत (1163.27 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, एम.ए.सी.पी. व प्रोन्नति के मामलों का निपटारा न होने एवं प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर बिलों के स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(ii) खेलकूद एवं क्रीड़ा गति–विधियों को प्रोत्साहन – 1466.48 लाख रूपये की बचत (5353.56 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम बिलों एवं कम खरीद होने, सुरक्षा सेवा प्रदाता द्वारा बिलों के प्रस्तुत न करने एवं प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर बिलों के स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(iii) खेल और प्रगति–खेल में उत्कृष्टता के लिए स्कूली छात्रों के लिए वित्तीय सहायता – 1333.39 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

(iv) विधान सभा क्षेत्रों में खेलकूद गति–विधियां – 1640.48 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं संबंधित विधान सभा क्षेत्रों के विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2203"**– तकनीकी शिक्षा – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – तकनीकी शिक्षा निदेशालय – 269.43 लाख रूपये की बचत (1525.84 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, कम खरीद, एम.ए.सी.पी./ए.सी.पी. प्रस्तावों का निपटारा न होने एवं शब्दार्थ द्वारा विज्ञापनों के भुगतान करने तथा स्टोर व कम्प्यूटरों की खरीद न होने के कारण हुई।

(ख) पोलिटेक्निक – निर्देशन एवं प्रशासन – 4583.82 लाख रूपये की बचत (14419.20 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम खरीद व मरम्मत होने, सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान न करने, जी.ई.एम. पर कुछ खरीद प्रस्तावों के कार्यान्वित न होने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं रखरखाव कार्यों के कार्यान्वित न होने के कारण हुई।

(ग) इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज और संस्थान – (i) वाणिज्यिक संस्थान – 246.72 लाख रूपये की बचत (716.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों, रिक्त पदों एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ii) अम्बेडकर तकनीकी संस्थान – 693.35 लाख रूपये की बचत (1839.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों, रिक्त पदों, कम यात्राओं एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(iii)) तकनीकी विश्वविद्यालय दिल्ली को सहायता अनुदान – 200.00 लाख रूपये की बचत (3100.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में उषमायन केन्द्र की स्थापना – 200.00 लाख रूपये की बचत (400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वर्तमान केन्द्र की जांच पड़ताल होने के कारण हुई।

(v) दिल्ली उपकरण इंजीनियरिंग संस्थान – 101.00 लाख रूपये की बचत (1501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(घ) अन्य व्यय – कर्मचारी विकास – 247.23 लाख रूपये की बचत (250.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2230"** – श्रम एवं रोजगार – प्रशिक्षण – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – (i) औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय – 186.66 लाख रूपये की बचत (798.92 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों व कम यात्राओं, रिक्त पदों, एम.ए.सी.पी./ए.सी.पी. प्रस्तावों का निपटारा न होने एवं शब्दार्थ द्वारा विज्ञापनों के भुगतान करने तथा स्टोर व कम्प्यूटरों की खरीद न होने के कारण हुई।

(ii) 25 विश्व स्तरीय कौशल केन्द्रों की स्थापना – 21473.49 लाख रूपये की बचत (21500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने, कम बिलों, लघु कार्यों का कियान्वयन न होने एवं सिविल कार्यों के पूर्ण न होने के कारण नये कोर्सों/बैचो की शुरूआत समय पर न होने के कारण हुई।

(ख) शिल्पकार व पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण – शिल्पकार प्रशिक्षण योजना – 1822.13 लाख रूपये की बचत (11332.84 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों, कम दावों/बिलों, कम मरम्मत कार्यों व कम छात्रवृति एवं वेतन देने, एम.ए.सी.पी./ए.सी.पी. प्रस्तावों का निपटारा न होने एवं शब्दार्थ द्वारा विज्ञापनों के भुगतान करने तथा स्टोर व कम्प्यूटरों की खरीद न होने के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय – जोनापुर में कौशल केन्द्र – 356.48 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद व कम मरम्मत कार्यों एवं फर्नीचर व अन्य मदों के कार्यों के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2203"–** तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान – जी.बी.पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, औखला – 294.53 लाख रूपये की बचत (1176.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, सातवें वेतन आयोग के लागू न होने एवं कम बिलों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

6. **मुख्यशीर्ष "2205"** – कला एवं संस्कृति – ललित कला शिक्षा – ललित कला महाविद्यालय – मुख्यालय स्थापना – 481.41 लाख रूपये की बचत (1333.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, सातवें वेतन आयोग के लागू न होने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने तथा कम्प्यूटरों के खरीद प्रस्तावों का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2202"**– सामान्य शिक्षा – प्रारम्भिक शिक्षा – शिक्षक प्रशिक्षण – स्कूलों में पंजाबी शिक्षण कार्यक्रमों के लिए पंजाबी अकादमी को अनुदान – 200.00 लाख रूपये की बचत (1230.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "2205"** – कला एवं संस्कृति – (क) कला व संस्कृति का विकास – (i) सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए नई पहल – सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विधान सभा स्तरीय कोष – 1281.63 लाख रूपये की बचत (1750.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आदर्श आचार संहिता की वजह से योजना लागू न की जा सकने के कारण हुई।

(ii) सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए नई पहल – राज्य स्तरीय नृत्य एवं गायन प्रतिभाओं की खोज के लिए वार्षिक श्रृंखला योजना – 350.00 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आदर्श आचार संहिता की वजह से योजना लागू न की जा सकने के कारण हुई।

(ख) पुरातत्व – पुरातत्व विभाग – 392.77 लाख रूपये की बचत (878.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, कम बिलों एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ग) अभिलेखागार – डिजिटलीकरण और माइक्रों अभिलेखों का फिल्मांकन और अभिलेखीय रिकॉर्ड का संरक्षण – 338.74 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं विक्रेता द्वारा समय से बिल प्रस्तुत न करने की वजह से निधियों का उपयोग न किए जा सकने की वजह से हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "2202"**– सामान्य शिक्षा – (क) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – निर्देशन व प्रशासन – 275.18 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉलेजों में प्रबंधक निकाय का गठन न होने की वजह से निधियों को जारी न कर सकने के कारण हुई।

(ख) विश्वविद्यालयों को सहायता – अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना – 752.00 लाख रूपये की बचत (10252.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

10. **मुख्यशीर्ष "2203"**– तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान – राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जाफरपुर – 153.95 लाख रूपये की बचत (629.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो के न भरने, सातवे वेतन आयोग के लागू न होने एवं कम बिलों/दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1291.08 लाख रूपये की बचत सत्रह उपशीर्षो के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**– सामान्य शिक्षा – **(अ)** प्रारम्भिक शिक्षा – (क) राजकीय प्राईमरी विद्यालय – वर्तमान स्कूलों में पूर्व प्राथमिक/ प्राथमिक कक्षाओं का प्रावधान – 5717.81 लाख रूपये का अधिक व्यय (12531.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने, अधिक एल.टी.सी. बिलों एवं बकायों का भुगतान करने के कारण हुआ।

(ख) प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता – दिल्ली नगर निगम – प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 8099.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (10001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ब) माध्यमिक शिक्षा – (क) भवनो का रखरखाव – विद्यालय कल्याण समिति (विकेएस/एसएमसी) – 336.46 लाख रूपये का अधिक व्यय (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक मरम्मत कार्यों के कारण हुआ।

(ख) परीक्षा – गुणवत्ता सुधार के लिए परीक्षा सुधार शाखा – सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए) – 412.66 लाख रूपये का अधिक व्यय (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

(ग) राजकीय माध्यमिक विद्यालय – (i) 12वी कक्षा में कम्प्यूटर विज्ञान का परिचय – 3935.24 लाख रूपये का अधिक व्यय (8001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद होने एवं अधिक बिलों के कारण हुआ।

(ii) अतिरिक्त स्कूली सुविधाएं – 36398.02 लाख रूपये का अधिक व्यय (330529.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो ंके भरने, एल.टी.सी. बिलों, बकायों के भुगतान करने एवं अधिक बिलों के कारण हुआ।

(iii) विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा – 3017.24 लाख रूपये का अधिक व्यय (4578.53 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो ंके भरने, एल.टी.सी. बिलों, बकायों के भुगतान करने एवं अधिक बिलों के कारण हुआ।

(घ) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 5975.80 लाख रूपये का अधिक व्यय (2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक लाभार्थियों के कारण हुआ।

(ड़) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – विद्यार्थियों को विद्यालय वर्दियों के लिए आर्थिक सहायता अनुदान (एससीएसपी) – 470.89 लाख रूपये का अधिक व्यय (4001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक लाभार्थियों के कारण हुआ।

(च) अन्य व्यय – छात्रों को विद्यालय वर्दियों पर छूट – 1895.19 लाख रूपये का अधिक व्यय (16301.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक लाभार्थियों के कारण हुआ।

(स) सामान्य – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – बोली जाने वाली अंग्रेजी कौशल और संचार क्षमता के विकास के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था – 816.09 लाख रूपये का अधिक व्यय (301.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

(ख) छात्रवृति – विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर एकीकृत शिक्षा (आईईडीएसएस) (राज्य अंश) – 1509.25 लाख रूपये का अधिक व्यय (55.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने, अधिक एल.टी.सी. बिलों, अधिक दावों, अधिक खरीद होने एवं अधिक लाभार्थियों के कारण हुआ।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – शिक्षा का अधिकार अधिनियम (एससीएसपी) – 1991.03 लाख रूपये का अधिक व्यय (2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक लाभार्थियों के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2204"** – खेल एवं युवा सेवाएं – गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नगद प्रोत्साहन एवं राजीव गांधी खेल पुरस्कार – 495.75 लाख रूपये का अधिक व्यय (2001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक पुरस्कार देने के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "2203"–** तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान – महिलाओं के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान – 199.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1801.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

4. **मुख्यशीर्ष "2202"**– सामान्य शिक्षा – प्रारम्भिक शिक्षा – शिक्षक प्रशिक्षण – (i) स्कूलों में उर्दू शिक्षण कार्यक्रमों के लिए उर्दू अकादमी को अनुदान – 305.28 लाख रूपये का अधिक व्यय (301.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) स्कूलों में संस्कृत शिक्षण कार्यक्रमों के लिए संस्कृत अकादमी को अनुदान – 158.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (246.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

5. **मुख्यशीर्ष "2205"** – कला एवं संस्कृति – कला व संस्कृति का विकास – पंजाबी अकादमी को अनुदान – 119.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (851.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

6. **मुख्यशीर्ष "2203"–** तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान – दिल्ली औषधी विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान – निर्देशन एवं प्रशासन – 170.13 लाख रूपये का अधिक व्यय (1005.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों एवं अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त 132.75 लाख रूपये का अधिक व्यय दो उपशीर्षो के अंतर्गत हुआ जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम था ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 38979.57 लाख रूपये की कुल बचत थी (64044.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 15001.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 60.86 प्रतिशत थी।

18160.50 लाख रूपये की राशि आठ उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – **(अ)** सामान्य शिक्षा – सामान्य – डीएसआइडीसी के माध्यम से स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा – 17500.00 लाख रूपये – योजना के लागू न होने के कारण।

   (ब) तकनीकी शिक्षा – पोलिटेक्निक – नए पोलिटेक्निक की स्थापना (सी.एस.एस) – 400.00 लाख रूपये – योजना के लागू न होने के कारण।

   (स) कला एवं संस्कृति – अन्य व्यय – एसीएस भवन का निर्माण/नवीनीकरण – 100.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति के कारण ।

2. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – सामान्य शिक्षा – उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय – खेल विश्वविद्यालय की स्थापना – 100.00 लाख रूपये – विधान सभा में खेल विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

शिक्षा निदेशालय
मुख्यशीर्ष "4202"
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	23530.00)			
पू.	15000.00)			
पु.	–27500.00)	11030.00	9985.58	–1044.42

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय
मुख्यशीर्ष "4202"
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	8550.00)			
पु.	–5392.00)	3158.00	1236.54	–1921.46

मुख्यशीर्ष "4250"
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	11000.00)			
पु.	–3750.00)	7250.00	6126.22	–1123.78

मुख्यशीर्ष "6202" शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर ऋण मू. 3500.00) पू. 1.00) पु. 3499.00)	7000.00	7000.00	..
पुरातत्व विभाग **मुख्यशीर्ष "4202"** शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय मू. 710.00) पु. –210.00)	500.00	285.75	–214.25
उच्च शिक्षा निदेशालय **मुख्यशीर्ष "4202"** शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	1500.00	359.10	–1140.90

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – **(अ)** सामान्य शिक्षा – सामान्य – विद्यालय भवनों के काम की आउटसोर्सिंग – 11044.42 लाख रूपये की बचत (20000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 15000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं प्रशासनिक शाखा द्वारा निधियों के उपयोग न करने के कारण हुई।

   (ब) तकनीकी शिक्षा – (क) पोलिटेक्निक – उपकरण – 816.08 लाख रूपये की बचत (1200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं सी.एन.सी. व खराद मशीनों की निविदाओं के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण हुई।

   (ख) इंजीनियरिंग तकनीकी कॉलेज और संस्थान – (i) स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं – 5852.57 लाख रूपये की बचत (6400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं 2018–19 में एस.पी.एस. कक्षाकक्ष के निविदा प्रस्ताव के कार्यान्वित न होने के कारण हुई।

   (ii) सरकारी आई.टी.आई के आदर्श आई.टी.आई में उन्नयन (सीएसएस) – 160.00 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना के शुरूआती स्तर में होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "4250"** – अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय – श्रम – (i) उपकरण – 454.25 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सी.एन.सी. व खराद मशीनों की निविदाओं के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(ii) 25 कौशल केन्द्रों की स्थापना – 4419.53 लाख रूपये की बचत (10000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, कार्य की धीमी गति एवं निविदाओं के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण हुई ।

3. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – **(अ)** कला एवं संस्कृति – अन्य व्यय – स्मारकों का संरक्षण – 364.25 लाख रूपये की बचत (650.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, उपसमिति के पास 84.00 लाख रूपये का प्रावधान ए.के.टी.सी. को जारी करने के लिए विचारार्थ रखा होने एवं विभिन्न एजेंसियों को आवंटित 117.00 लाख रूपये के कार्यों के अंतिम रूप से स्वीकृत/पूर्ण न हो सकने के कारण हुई।

(ब) सामान्य शिक्षा – उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय – इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के लिए भूमि का आवंटन एवं भवन – 1040.90 लाख रूपये की बचत (1400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) – मुख्यतः पी.डब्लू.डी. द्वारा 10.25 करोड़ रूपयों के अभ्यर्पण के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 86.17 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अर्न्तगत अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई :–

1. **मुख्यशीर्ष "6202"**– शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण – तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान – इंद्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान (आईआईआईटी) दिल्ली को ऋण – 3499.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (3501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व

प्रभारित				
मूल	2,64,00)			
पूरक	12,99,74)	15,63,74	11,81,78	–3,81,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				52,00
स्वीकृत –				
मूल	5582,65,00)			
पूरक	148,78,00)	5731,43,00	5076,75,50	–654,67,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–361,11,74

पूंजीगत

प्रभारित				
पूरक		61,47	61,47	..
स्वीकृत –				
मूल	281,73,00)			
पूरक	35,00,00)	316,73,00	151,47,18	–165,25,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–125,19,47

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 381.96 लाख रूपये की कुल बचत थी (1563.74 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1299.74 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 24.42 प्रतिशत थी।

255.50 लाख रूपये की राशि 9 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :

1. **मुख्यशीर्ष "2210"–** चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल – 100.00 लाख रूपये – अधिकारी से कोई आदेश न प्राप्त होने के कारण।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 65467.50 लाख रूपये की कुल बचत थी (573143.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 14878.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 11.42 प्रतिशत थी।

21269.30 लाख रूपये की राशि 49 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी – (क) राज्य कर्मचारी बीमा योजना – कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान – 500.00 लाख रूपये – कम बिलों के कारण ।

(ख) मेडिकल स्टॉर डिपों – रसद आपूर्ति एवं श्रृंखला प्रबंधन – 110.00 लाख रूपये – कम बिलों, रिक्तियों एवं कम खरीद होने के कारण ।

(ग) अस्पताल एवं औषधालय – दिल्ली में नए अस्पताल – 200.00 लाख रूपये– कम खरीद के कारण ।

(घ) अन्य स्वास्थ्य योजनाएं – (i) स्वास्थ्य बीमा – बीमा कम्पनियों को भुगतान – 10000.00 लाख रूपये – योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण ।

(ii) पी.पी.पी. के माध्यम से प्रयोगशाला की सुविधा – 2000.00 लाख रूपये – योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण ।

(iii) टेली रेडियोलॉजी – 400.00 लाख रूपये – योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण ।

(iv) पी.पी.पी. के माध्यम से सीटी स्कैन/एम.आर.आई – 2000.00 लाख रूपये – योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण ।

(v) जन औषधी जेनेरिक फार्मेसी की आउटसोर्सिंग – 100.00 लाख रूपये – योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण ।

(vi) आम आदमी डेंटल क्लीनिक (उपशीर्ष)– 300.00 लाख रूपये – योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण ।

(vii) स्वास्थ्य हेल्प लाईन – 200.00 लाख रूपये – योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण ।

(viii) स्वास्थ्य कार्ड – 2000.00 लाख रूपये – कम खरीद होने एवं योजना के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण।

(ix) आंख एवं कान की देखभाल सेवाओं के लिए मोबाइल वैन क्लीनिक – 500.00 लाख रूपये – रिक्त पदों के कारण ।

(ब) सार्वजनिक स्वास्थ्य – (क) प्रशिक्षण – प्रशिक्षण एवं विनिमय कार्यक्रम (प्रबंध कौशल एवं कर्मचारी कौशल) – 1000.00 लाख रूपये – कम बिलों एवं कम खरीद होने के कारण ।

(ख) अन्य व्यय – दिल्ली में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सोसाइटी को सहायता अनुदान – 270.00 लाख रूपये – योजना के लागू न होने के कारण।

(ग) रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण – टेली चिकित्सा सुविधा – सूचना तकनीक – 220.00 लाख रूपये – कम खरीद होने एवं पर्याप्त आधारिक संरचना, उपकरण व मानव बल उपलब्ध न होने के कारण ।

(स) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान–ऐलोपैथी – (i) डी.डी.यू. मेडिकल कॉलेज की स्थापना – 100.00 लाख रूपये – रिक्तियों एवं कम बिलों के कारण।

(ii) विश्वविद्यालय का आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – 100.00 लाख रूपये – रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण एवं कम खरीद होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2211"** – परिवार कल्याण – ग्रमीण परिवार कल्याण सेवाएं – ग्रमीण परिवार कल्याण सेवाएं – 580.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने एवं सरकारी सलाहकारो से बिलों के प्राप्त न होने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान – आयुर्वेद – आयुष संस्थानों/कॉलेजों का विकास एवं उच्चीकरण – आयुष औषधालयों को आवश्यक औषधियां (सीएसएस) – 200.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने, कम खरीद, कम बिलों एवं राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) का अनुमोदन न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
मू.	238034.00)			
पू.	14866.00)			
पु.	–33564.00)	219336.00	208251.87	–11084.13
लोक नायक अस्पताल				
मू.	49928.00)			
पु.	–2090.00)	47838.00	45050.46	–2787.54
जी. बी. पंत अस्पताल				
मू.	34772.00)			
पु.	–301.24)	34470.76	32117.43	–2353.33
दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल				
मू.	27721.00)			
पु.	–800.00)	26921.00	26608.84	–312.16
गुरू तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल				
मू.	36514.00)			
पु.	–340.00)	36174.00	35305.52	–868.48
मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय				
मू.	22031.00)			
पु.	–2303.00)	19728.00	18962.14	–765.86
खाद्य सुरक्षा विभाग				
मू.	2144.00)			
पु.	–270.50)	1873.50	1616.27	–257.23
औषधी नियंत्रण विभाग				
मू.	1115.00)			
पु.	–188.00)	927.00	733.52	–193.48

परिवार कल्याण निर्देशालय				
मुख्यशीर्ष "2211"				
परिवार कल्याण				
मू.	14579.00)			
पू.	2.00)			
पु.	5018.00)	19599.00	16497.93	−3101.07
संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल				
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य				
मू.	10754.00)			
पु.	255.00)	11009.00	10992.12	−16.88
आयुष निर्देशालय				
मू.	11141.00)			
पू.	5.00)			
पु.	−612.03)	10533.97	8072.45	−2461.52
डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल				
मू.	17827.00)			
पु.	1878.00)	19705.00	18304.54	−1400.46
डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल				
मू.	3598.00)			
पु.	−981.00)	2617.00	2141.29	−475.71
डा0 हेडगेवार आरोग्य संस्थान				
मू.	6055.50)			
पु.	348.50)	6404.00	6367.37	−36.63
सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल				
मू.	3803.00)			
पु.	−199.00)	3604.00	3577.02	−26.98
मालवीय नगर कॉलोनी अस्पतान				
मू.	4592.00)			
पु.	243.00)	4835.00	4813.96	−21.04
आचार्य भिक्षु अस्पताल				
मू.	5438.00)			
पु.	−103.00)	5335.00	5111.45	−223.55
डा. एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल				
मू.	2679.00)			
पु.	−560.00)	2119.00	2068.28	−50.72
राव तुला राम अस्पताल				
मू.	5147.00)			
पु.	−563.00)	4584.00	4529.40	−54.60

गुरू गोविंद सिंह अस्पताल

मू.	5846.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–353.00)	5494.00	5258.34	–235.66

महर्षि बाल्मिकी अस्पताल

मू.	5431.00)			
पु.	–63.00)	5368.00	5032.76	–335.24

सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल

मू.	4522.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–134.00)	4389.00	4215.60	–173.40

ए.एवं.यू. तिब्बिया कालेज

मू.	3994.00)			
पु.	–845.00)	3149.00	2631.98	–517.02

नेहरू हौम्योपैथी चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल

मू.	2350.00)			
पु.	–256.00)	2094.00	1842.31	–251.69

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय
मुख्यशीर्ष "2052"

मू.	885.50)			
पु.	–138.00)	747.50	693.89	–53.61

1.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवायें ऐलोपैथी – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – (i) चिकित्सा स्थापना – 672.23 लाख रूपये की बचत (3326.58 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों, रिक्तियों एवं पदाधिकारियो के स्थानांतरण होने तथा एल.टी.सी. बिलों, बकाया बिलों व कुछ आकस्मिक बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ख) स्कूल स्वास्थ्य योजना – 244.93 लाख रूपये की बचत (2258.30 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, कम खरीद होने एवं प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) अस्पताल एवं औषधालय – (i) सरकारी औषधालय – 3984.14 लाख रूपये की बचत (23835.57 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों, कम खरीद होने, रिक्तियों व पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने एवं एल.टी.सी. बिलों, बकाया बिलों व कुछ आकस्मिक बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान – 2335.00 लाख रूपये की बचत (11000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक के लिए दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान – 5700.00 लाख रूपये की बचत (15000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) दीप चन्द बंधु अस्पताल – 879.89 लाख रूपये की बचत (5102.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों, रिक्त पदों, कम खरीद होने एवं विभिन्न निविदाओं पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

(v) जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सोसाइटी को सहायता अनुदान – 400.00 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(vi) राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सहायता अनुदान – 3501.00 लाख रूपये की बचत (9001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(घ) अन्य स्वास्थ्य योजनाऍं – चिकित्सा देखभाल के लिए, अस्पताल के लिए, सड़क यातायात दुर्घटना के शिकार लोगों के परिवहन के लिए अच्छे सामरियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन – 197.99 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति के कारण हुई।

(ड.) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) जेजे क्लस्टर्स के लिए मोबाइल वैन औषधालय (एससीएसपी) – 503.09 लाख रूपये की बचत (2007.25 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, कम बिलों एवं रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(ii) स्वास्थ्य केन्द्र (एससीएसपी) – 1816.12 लाख रूपये की बचत (7806.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, कम बिलों, रिक्त पदों के न भरने एवं एल.टी.सी. बिलों, बकाया बिलों व कुछ आकस्मिक बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(च) अन्य व्यय – (i) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुदान – 3302.50 लाख रूपये की बचत (7470.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) दक्षिण दिल्ली नगर निगम को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुदान – 195.00 लाख रूपये की बचत (780.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) आई.एस.एम.औषधालयों/अस्पतालों के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 287.50 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस) – 2502.00 लाख रूपये की बचत (17502.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः सही वस्तुशीर्ष में स्थानांतरण होने के कारण हुई।

(v) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (राज्य अंश) – 500.00 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ब) जन स्वास्थ्य – (क) बीमारियों की रोकथाम तथा नियंत्रण – मलेरिया एवं डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम – उत्तरी दिल्ली नगर निगम को मलेरिया एवं डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान – 1225.00 लाख रूपये की बचत (4600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – (i) विभिन्न जन स्वास्थ्य प्रचार के संचालन हेतु विशेष प्रकोष्ठ – 180.34 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं प्रिंट व आउट डोर दोनो प्रकार के विज्ञापन अभियान पर किए गए व्यय का भुगतान डी.आई.पी. द्वारा अपने बजट से किए जाने के कारण हुई।

(ii) यकृत एवं पैत्तिक विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान – 600.00 लाख रूपये की बचत (10500.00 लाख रूपये के स्वीकृत एवं 2500.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अन्य जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान – 487.50 लाख रूपये की बचत (650.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अन्य जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान – 107.50 लाख रूपये की बचत (430.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(v) रोगी कल्याण समिति को सहायता अनुदान – 3750.00 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं कम दावों/बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(स) सामान्य – अन्य व्यय – केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी एवं राज्य औषधी प्राधिकरण – 3329.69 लाख रूपये की बचत (30000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, कम बिलों व कम खरीद एवं पूर्तिकर्ता द्वारा पुष्टि एवं पूर्ति न करने के कारण कई बिलों को संसाधित न किए जा सकने के कारण हुई।

2 **मुख्यशीर्ष "2210"–** चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवायें–एलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) लोक नायक अस्पताल – 4896.59 लाख रूपये की बचत (49678.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम बिलों/दावों, कम यात्राओं एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ii) जी.बी.पंत अस्पताल – 2323.67 लाख रूपये की बचत (34197.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों एवं 01.01.2006 से कर्मचारियों के प्रारंभिक वेतन संबंधी बकाया बिलों को कियांवित न किए जा सकने के कारण हुई।

(iii) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, अस्पताल प्रशासन का पुनरूद्धार – 988.20 लाख रूपये की बचत (27591.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने, कम मरम्मत, कम दावों और बिलों के प्राप्त होने एवं वेतन वृद्धि के आदेशों पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

(iv) गुरू तेग बहादुर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल – 1108.48 लाख रूपये की बचत (36414.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों, कम खरीद होने, रिक्त पदों, सातवें वेतन आयोग के दिशा निर्देशानुसार कोई ओ.टी.ए नहीं दिया गया, कुछ बिलों/दावों का निपटारा नही हुआ, वाहनों को किराए पर न लेने एवं जी.एन.एम. छात्रों के कुछ बैचों को छात्रवृति व वजीफे का भुगतान न करने के कारण हुई।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान – ऐलौपेथी – शिक्षा – मौलाना आजाद चिकित्सा कॉलेज – 3058.86 लाख रूपये की बचत (22021.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम बिलों/दावों, कम यात्राओं, कम खरीद एवं संस्थान के 650 पी.जी को सातवे वेतन आयोग के बकायों को जारी न करने के कारण हुई।

(स) जन स्वास्थ्य – (क) खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण – (i) खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण अधिनियम का कार्यान्वयन – 387.96 लाख रूपये की बचत (1841.25 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने, बिलों/दावों के प्राप्त न होने एवं निविदा प्रक्रिया के पूर्ण न होने के कारण हुई।

(ii) ई.डी.पी. प्रकोष्ठ – 103.62 लाख रूपये की बचत (251.75 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने एवं कम खरीद के कारण हुई।

(ख) औषधि नियंत्रण – औषधि नियंत्रण संगठन – 318.81 लाख रूपये की बचत (1042.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो के न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं आई.टी. उपकरणों की खरीद पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2211"** – परिवार कल्याण – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – परिवार कल्याण निदेशालय (सी.एस. एस) – 184.67 लाख रूपये की बचत (600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने एवं कम बिलों/दावों के कारण हुई।

(ख) ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं – उप केन्द्र (सी.एस.एस) – 259.07 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं सहायता अनुदान प्रस्तावों को किश्तों में क्रियांवित किया गया, जब शेष राशि किश्त की राशि से कम थी तब अनुदान का उपयोग नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ग) शहरी परिवार कल्याण सेवाएं – (i) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी.एस.एस) – 1854.23 लाख रूपये की बचत (2200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम बिलों/दावों, कम खरीद होने, कम अनुदान जारी होने एवं खाते से संबंधित जानकारी न देने के कारण गैर–सरकारी संगठन को सहायता अनुदान न जारी किए जा सकने के कारण हुई।

(ii) पुनरूद्धार शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी.एस.एस) – 162.63 लाख रूपये की बचत (350.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आवश्यक दस्तावेजों एवं लंबित लेखा परीक्षा की वजह से कुछ गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान संसाधित न किए जा सकने के कारण हुई।

(iii) अस्पतालों में पोस्ट–पार्टम इकाईयों पर व्यय हेतु अनुदान – 502.69 लाख रूपये की बचत (598.49 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः आवश्यक दस्तावेजों के पूरा न होने के कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम को जारी होने वाले सहायता अनुदान को संसाधित न किए जा सकने के कारण हुई।

(घ) मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य – विशेष प्रतिरक्षण योजना एमएमआर – 499.47 लाख रूपये की बचत (534.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवाये चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – (क) आयुर्वेद – आयुष निदेशालय – 2451.35 लाख रूपये की बचत (4022.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, निविदाओं पर निर्णय न होने एवं डी.ए.पी. द्वारा विज्ञापन व प्रचार के बिलों का भुगतान करने के कारण हुई।

(ख) होम्योपैथी – होम्योपैथी औषधालय – 607.06 लाख रूपये की बचत (3679.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, कम बिलों, कम खरीद होने, फार्मासिस्टों के रिक्त पदों को न भरने, अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं के जारी न रहने एवं मशीनों की कम आपूर्ति के कारण हुई।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान – ऐलोपैथी – डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सा कॉलेज तथा अस्पताल – 1451.71 लाख रूपये की बचत (3593.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पदाधिकारियों का स्थानांतरण होने, कम खरीद होने, कम मरम्मत, रिक्त पद, विभिन्न निविदाओं पर निर्णय न होने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, विक्रेता द्वारा मदों की पूर्ति न होने एवं नई कम्प्यूटर सह शिक्षा प्रयोगशाला की स्थापना पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य– शहरी स्वास्थ्य सेवाये एलोपैथी – (क) अस्पताल एवं औषधालय – (i) सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल – 225.98 लाख रूपये की बचत (3803.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम खरीद एवं कम दावों के कारण हुई।

(ii) आचार्य भिक्षु अस्पताल – 326.55 लाख रूपये की बचत (5438.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद व कम बिलों, रिक्त पदो के न भरने, विक्रेताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न करने एवं सी.पी.ए. द्वारा बिलों का भुगतान करने के कारण हुई।

(iii) डा0 एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल – 610.72 लाख रूपये की बचत (2679.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पदाधिकारियों का स्थानांतरण होने, रिक्त पदों, अस्पताल के पास मीटिंग/सम्मेलन के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण समय सारणी होने एवं कम बिलों/दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(iv) राव तुला राम अस्पताल, जाफरपुर – 617.60 लाख रूपये की बचत (5147.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम दावों, जे.आर. व एस.आर. के रिक्त पदों एवं मदो की कम खरीद के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – गुरू गोविंद सिंह अस्पताल (एससीएसपी) – 588.66 लाख रूपये की बचत (5847.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में)) मुख्यतः पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम खरीद, रिक्त पदों, प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने, सी.पी.ए. द्वारा भुगतान करने एवं आदर्श आचार संहिता के कारण से आई.टी. अनुबंध के विस्तार का प्रस्ताव अनुमोदित न होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवाये ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) महर्षि बाल्मिकी अस्पताल – 393.24 लाख रूपये की बचत (5426.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों का स्थानांतरण होने, कम बिलों/दावों एंव आउटसोर्स सेवाओं की निविदाओं पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

(ii) सत्यवादी राजा हरीशचंद्र अस्पताल, नरेला – 307.40 लाख रूपये की बचत (4523.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों एवं कम दावों/बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ब) शहरी स्वास्थ्य सेवायें–चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – (क) आयुर्वेद – आयुर्वेद व युनानी तिब्बिया कॉलेज – 1362.02 लाख रूपये की बचत (3994.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम खरीद होने, कम बिलों, अनुबंधित व्याख्याताओं व आउटसोर्स सुरक्षा कर्मीयों की सेवाओं का विस्तार न होने एवं चिकित्सा की निविदाओं पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

(ख) होम्योपैथी – होम्योपैथी औषधालय इकाईयां – नेहरू होम्योपैथीक चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल – 507.69 लाख रूपये की बचत (2350.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने, कम खरीद, एम.ए.सी.पी. मामलों पर अंतिम निर्णय न होने, एन.ओ.एस. की निविदाओं, चिकित्सा व अन्य अस्पताल के उपकरणों की खरीद पर अंतिम निर्णय न होने, पानी के बिलों की प्राप्ति न होने एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवाएं – सचिवालय – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण – 191.61 लाख रूपये की बचत (885.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने व कम दावों एवं प्रशासनिक कारणों से बकाया बिलों/चिकित्सा बिलों/डी.टी.ई. बिलों पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 707.75 लाख रूपये की बचत दस उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्र्तगत अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई :–

1 **मुख्यशीर्ष "2210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य– **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवाऐं –एलोपैथी – (क) अस्पताल एवं औषधालय – (i) मानव व्यवहार तथा सम्बंध विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान – 996.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (10004.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान – 249.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (3701.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ख) अन्य व्यय – (i) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुदान – 2318.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (2023.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) आई.एस.एम. औषधालयों/अस्पतालों के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 284.50 लाख रूपये का अधिक व्यय (253.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(iii) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस) – 999.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (2501.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(iv) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (राज्य अंश) – 4499.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1501.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ब) जन स्वास्थ्य – (क) बिमारियों की रोकथाम तथा नियंत्रण – मलेरिया एवं डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम – पूर्वी दिल्ली नगर निगम को मलेरिया एवं डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान – 2792.50 लाख रूपये का अधिक व्यय (1863.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ख) अन्य व्यय – पूर्वी दिल्ली नगर निगम को जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान – 119.25 लाख रूपये का अधिक व्यय (487.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

2 **मुख्यशीर्ष "2211"** – परिवार कल्याण – अन्य व्यय – राज्य स्वास्थ्य समिति (दिल्ली) को सहायता अनुदान – 6099.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (8901.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

3 **मुख्यशीर्ष "2210"–** चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवाऐं ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – संजय गांधी स्मारक अस्पताल – 238.12 लाख रूपये का अधिक व्यय (10754.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने, अधिक दावों एवं अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

(ब) शहरी स्वास्थ्य सेवाऐं औषधी की अन्य सेवाऐं – आयुर्वेद – खेडा डाबर में दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान को सहायता अनुदान – 198.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (3202.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

4. **मुख्यशीर्ष "2210"–** चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाऐं ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल – 477.54 लाख रूपये का अधिक व्यय (17827.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने एवं अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

(ii) डा0 हेडगेवार आरोग्य संस्थान – 311.87 लाख रूपये का अधिक व्यय (6055.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने एवं अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

(iii) मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल – 221.96 लाख रूपये का अधिक व्यय (4592.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त 147.38 लाख रूपये का अधिक व्यय दो उपशीर्षों के अंतर्गत हुआ जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम था ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 16525.82 लाख रूपये की कुल बचत थी (31673.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3500.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना मे) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 52.17 प्रतिशत थी।

1827.00 लाख रूपये की राशि 8 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "4210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवाऐं – ऐलोपैथी – अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ – आंख व कान की देखभाल सेवाओं के लिए मोबाइल वैन क्लीनिक – 1000.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण ।

(ब) सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य में निवेश – दिल्ली स्वास्थ्य देखभाल निगम के लिए इक्विटी पूँजी – 500.00 लाख रूपये – कम खरीद होने व निवेश न होने के कारण।

(स) जन स्वास्थ्य – जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ – (i) औषधि नियंत्रण – 120.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण।

(ii) राज्य औषधी एवं विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (सीएसएस) – 125.00 लाख रूपये – सी.पी.ए. द्वारा औषधी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए मशीनरी व उपकरण खरीदने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय न लेने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय				
मुख्यशीर्ष "4210"				
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मू.	20000.00)			
पू.	3500.00)			
पु.	–14576.00)	8924.00	6945.61	–1978.39
लोक नायक अस्पताल				
मू.	1051.00)			
पु.	1149.00)	2200.00	1490.06	–709.94
जी.बी.पंत अस्पताल				
मू.	1000.00)			
पु.	–61.47)	938.53	751.85	–186.68
दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल		600.00	295.79	–304.21
गुरू तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल				
मू.	1000.00)			
पु.	1100.00)	2100.00	2082.17	–17.83
मौलाना आजाद मेडीकल कॉलेज				
मू.	400.00)			
पु.	–20.00)	380.00	269.44	–110.56
डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल		750.00	639.61	–110.39

डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल				
मू.	50.00)			
पु.	150.00)	200.00	184.80	–15.20
राव तुला राम अस्पताल				
मू.	200.00)			
पु.	–102.00)	98.00	61.88	–36.12
बाबू जगजीवन राम अस्पताल				
मू.	200.00)			
पु.	–60.00)	140.00	51.24	–88.76

1.00 करोड़ रूपये से अधिक बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अंर्तगत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) भवन – औषधालय/स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन निर्माण – 401.23 लाख रूपये की बचत (3600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3500.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम निर्माण कार्य एवं योजना की धीमी गति के कारण हुई।

(ii) दीप चंद बंधु अस्पताल – 328.42 लाख रूपये की बचत (400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अस्पताल के पुनःनिर्माण की योजना पर कार्य के जारी रहने एवं सी.पी.ए. से 1000 एमए एक्स–रे जैसे उपकरणों की आपूर्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी एवं राज्य औषधी प्राधिकरण – 14324.74 लाख रूपये की बचत (18000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, प्रेषणी रसीद प्रमाण पत्र एवं प्रेषणी/पूर्तिकर्ता द्वारा ई–मेल स्वीकृति प्रमाण पत्र के जमा न करने के कारण बिलों को संसाधित न कर सकने के कारण हुई।

(iv) जी.बी.पंत अस्पताल – 248.15 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं उपकरणों की खरीद के लिए निविदाओं पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

(v) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल – 304.21 लाख रूपये की बचत (600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निविदाओं पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

(vi) मोलाना आजाद मेडिकल कालेज – 130.56 लाख रूपये की बचत (400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विक्रेता द्वारा मशीनों व उपकरणों के बिलों को प्रस्तुत न करने एवं कुछ उपकरणों की स्थापना न होने से बिलों को संसाधित न कर सकने के कारण हुई।

(vii) डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल – 110.39 लाख रूपये की बचत (750.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विक्रेताओं से बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(viii) राव तुला राम अस्पताल – 138.12 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

(ix) बाबू जगजीवन राम अस्पताल – 148.76 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं बोली/ई–रिवर्स ऑक्शन पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 271.38 लाख रूपये की बचत चार उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थीः–

1. **मुख्यशीर्ष "4210"**– चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय – **(अ)** जन स्वास्थ्य – बिमारियों से बचाव एवं नियंत्रण – क्षेत्रीय कैंसर देखभाल केन्द्र (सीएसएस) – 392.47 लाख रूपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

(ब) शहरी स्वास्थ्य सेवायें – ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) गुरू तेग बहादुर चिकित्सा कॉलेज तथा अस्पताल – 1082.17 लाख रूपये का अधिक व्यय (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

(ii) डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल – 134.80 लाख रूपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त 54.63 लाख रूपये का अधिक व्यय एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुआ जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम था।

अनुदान संख्या 8 – समाज कल्याण

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित		4,00	..	–4,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं
स्वीकृत				
मूल	5721,34,00)			
पूरक	440,94,50)	6162,28,50	5664,59,13	–497,69,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–187,33,75
पूंजीगत				
स्वीकृत				
मूल	582,46,00)			
पूरक	908,60,25)	1491,06,25	448,70,07	–1042,36,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–999,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 4.00 लाख रूपये की कुल बचत थी (4.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) जोकि स्वीकृत विनियोजन का 100.00 प्रतिशत थी। 4.00 लाख रूपये का प्रावधान एक उपशीर्ष के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 49769.37 लाख रूपये की कुल बचत थी (616228.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 44094.50 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना मे) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 8.07 प्रतिशत थी।

9025.10 लाख रूपये की राशि 61 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) बाल कल्याण – (i) आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएसएस) – 120.00 लाख रूपये – कम खरीद एवं बिजली के कम बिलों के कारण ।

   (ii) बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं (सीएसएस) – 450.00 लाख रूपये – कम बिलों, भारत सरकार द्वारा सीधे डी.एम. ऑफिस को राशि जारी करने एवं अव्यतित राशि का जो प्रावधान रखा गया था वह प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं किया जा सका।

   (iii) अभिभावकों, आँगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं आँगनवाडी समितियों का प्रशिक्षण (प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा) – 500.00 लाख रूपये – कम खरीद, योजना की धीमी प्रगति एवं प्रशासनिक कारणों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका ।

(iv) आँगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए मोबाइल – 600.00 लाख रूपये – कम खरीद एवं कम बिजली के बिलों के कारण ।

(v) आइसीडीएस योजना के तहत आधार नामांकन किट, आंगनवाड़ी सेवा योजना के लिए खरीद (सीएसएस) – 256.50 लाख रूपये – प्रशासनिक कारणों से खरीद न हो सकने के कारण।

(vi) आइसीडीएस योजना के तहत आधार नामांकन किट, आंगनवाड़ी सेवा योजना के लिए खरीद (राज्य अंश) – 171.00 लाख रूपये – प्रशासनिक कारणों से खरीद न हो सकने के कारण।

(ख) ऐच्छिक संस्था को सहायता – मद्यपान और पदार्थों (औषध) का दुरूपयोग रोकथाम योजना –100.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2236"** – पोषण – **(अ)** पोषक आहार एवं पेयों का वितरण – विशेष पोषण कार्यक्रम – पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त आहार – 2421.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण ।

(ब) सामान्य – सांख्यिकी एवं गणना – राष्ट्रीय पोषण परियोजना (सीएसएस) – 650.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण ।

3. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अ.जा/अ.ज.जा एवं अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण – **(अ)** अनुसूचित जातियों का कल्याण – शिक्षा – अ.जा/अ.ज.जा और अनाथों के लिए गांव ईसपुर में किस संस्था के सहयोग से आवासीय विद्यालयों की स्थापना – 240.00 लाख रूपये – किस सोसाईटी एवं विभाग के मध्य एम.ओ.यू. का निष्पादन न होने के कारण।

(ब) अनुसूचित जन जातियों का कल्याण – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता – अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए समिति (सी.एस.एस) – 100.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने एवं भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण।

(स) सामान्य – (क) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) अ.जा/अ.ज.जा और अनाथों के लिए गांव ईसपुर में किस संस्था के सहयोग से आवासीय विद्यालयों की स्थापना (एससीएसपी) – 160.00 लाख रूपये – किस सोसाईटी एवं विभाग के मध्य एम.ओ.यू. का निष्पादन न होने के कारण।

(ii) मैनुअल मेहतर और उनके पूर्णवास के रूप में रोजगार के निषेध का कार्यान्वयन (एससीएसपी) – 100.00 लाख रूपये – स्थानीय निकायों द्वारा निधियों की मांग न करने के कारण।

(ख) अन्य व्यय – (i) मैनुअल मेहतर और उनके पूर्णवास के रूप में रोजगार के निषेध का कार्यान्वयन – 100.00 लाख रूपये – स्थानीय निकायों द्वारा निधियों की मांग न करने के कारण।

(ii) खानाबदोश एवं अर्ध खानाबदोश (डीएनटी) जन जातियों का कल्याण – 100.00 लाख रूपये – योजना की धीमी प्रगति के कारण।

4. **मुख्यशीर्ष "3452"–** पर्यटन – (**अ**) पर्यटक अवसंरचना – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता – दिल्ली होटल प्रबंधन एवं खानपान तकनीकी संस्थान को सरकारी स्कूलों के छात्रों के कौशल विकास के लिए सहायता अनुदान – 100.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने के कारण ।

(**ब**) सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता – (i) दिल्ली हाट, जनकपुरी के विकास के लिए डीटी एवं टीडीसी को सहायता अनुदान (सीएसएस) – 100.00 लाख रूपये – अनुदान जारी न होने के कारण ।

(ii) स्वदेश दर्शन के लिए डीटी एवं टीडीसी को सहायता अनुदान (सीएसएस) – 2000.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

सामाजिक कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	144672.00)			
पू.	25402.00)			
पु.	–1457.05)	168616.95	162804.16	–5812.79

महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	109497.00)			
पू.	14153.50)			
पु.	–4448.00)	119202.50	109997.89	–9204.61

मुख्यशीर्ष "2236"

पोषण

मू.	21750.00)			
पू.	2427.00)			
पु.	–7473.00)	16704.00	11314.32	–5389.68

अ.जाति/अ.ज.जाति
एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "2225"

अ.जाति/अ.ज.जाति
एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

मू.	29359.00)			
पू	405.00)			
पु.	–2823.00)	26941.00	20907.46	–6033.54

परिवहन विभाग

मुख्यशीर्ष "2041"

वाहनों पर कर

मू.	24033.00)			
पू.	995.00)			
पु.	59.08)	25087.08	21951.81	–3135.27

मुख्यशीर्ष "3055"
सड़क परिवहन

मू.	237504.00)			
पु.	–710.00)	236794.00	236790.00	–4.00

मुख्यशीर्ष "3075"
अन्य परिवहन सेवायें

मू.	1.00)			
पू.	710.00)	711.00	512.09	–198.91

पर्यटन विभाग

मुख्यशीर्ष "3452"
पर्यटन

मू.	4606.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–1905.00)	2702.00	1699.04	–1002.96

1.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – **(अ)** समाज कल्याण – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – (i) समाज कल्याण निदेशालय – 285.15 लाख रूपये की बचत (1509.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, कम खरीद, रिक्त पदों, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं कम्प्यूटर के खरीद प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) सुरक्षा–आंतरिक व बाहय तथा सफाई का संवर्धन (एसडब्लूडी) – 200.05 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कुछ हॉफ–वे–होम के संचालित न होने के कारण कर्मचारियों (सुरक्षा एवं स्वच्छता) की कम आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) विकलांगो का कल्याण – (i) मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए पाठशाला/गृह – 206.86 लाख रूपये की बचत (1746.40 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ii) शिक्षक प्रशिक्षण इकाई एवं मूक व बधिरों के लिए लेडी नायस स्कूल – 168.08 लाख रूपये की बचत (728.20 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण, कम खरीद एवं कम बिलों के कारण हुई।

(iii) अल्प/दीर्घ अवधि गृह आश्रय – 201.35 लाख रूपये की बचत (700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत कार्यो के कारण हुई।

(ग) वृद्ध, अशक्त एवं निस्सहायों का कल्याण – (i) महिला तथा पुरूष भिखारियों के लिए आवास – 539.93 लाख रूपये की बचत (1129.60 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण, कम खरीद होने एवं कम दावों/बिलों के कारण हुई।

(ii) वृद्ध व अशक्त भिखारियों के लिए आवास – 115.75 लाख रूपये की बचत (303.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(iii) वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) – 3617.98 लाख रूपये की बचत (110500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 18900.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः नव स्वीकृत पेंशन मामलों का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि आदर्श आचार संहिता लोकसभा 2019 के आम चुनाव के लिए लागू हो गई थी।

(iv) वृद्धों के लिए आवासीय मनोरंजन केन्द्र – 800.60 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी करने एवं संगठन के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों व प्रतिकूल निरीक्षण रिपोर्ट के कारण अनुदान राशि रोक दी गई थी।

(घ) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता (एससीएसपी) – 176.98 लाख रूपये की बचत (4000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः नव स्वीकृत पेंशन मामलों का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि आदर्श आचार संहित लोकसभा 2019 के आम चुनाव के लिए लागू हो गई थी।

(ड़) अन्य व्यय – शरणार्थी हस्तशिल्प दुकानों के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र – 123.27 लाख रूपये की बचत (274.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण एवं कम बिलों के कारण हुई।

(ब) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम – राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना – 303.80 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लाभार्थियों के कारण हुई।

2 **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – महिला एवं बाल विकास निदेशालय – 317.01 लाख रूपये की बचत (795.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों एवं कम खरीद के कारण हुई।

(ख) बाल कल्याण – (i) लड़को के लिए बाल गृह/निरीक्षण गृह – 200.07 लाख रूपये की बचत (1143.10 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो के न भरने, कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं कैदियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(ii) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (सीएसएस) – 2921.70 लाख रूपये की बचत (8790.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कर्मचारियों का स्थानांतरण, कम खरीद, कम बिजली बिलों, कम दावों, सी.डी.पी.ओ.एस. , पर्यवेक्षकों व आंगनवाड़ी कर्मचारियों के रिक्त पदों के न भरने एवं कम चिकित्सीय दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायको को मानदेय – 336.43 लाख रूपये की बचत (15000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः आंगनवाड़ी कर्मियों के रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(iv) आंगनवाड़ी उन्नयन प्रोत्साहन योजना – 2497.93 लाख रूपये की बचत (2500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, कम बिजली बिलों एवं 6000 ए.डब्लू.सी.एस को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन पूरी न हो सकने के कारण हुई।

(v) आईसीडीएस (सामान्य)–राज्य अंश – 1544.93 लाख रूपये की बचत (4780.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कर्मचारियों का स्थानांतरण, कुछ खरीद प्रस्तावों पर प्रशासनिक कारणों से निर्णय न हो सकने, कम चिकित्सीय दावों एवं सी.डी.पी.ओ.एस. व पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों के कारण हुई।

(vi) राज्य किशोर शरण गृह को सहायता अनुदान (सीएसएस) – 236.33 लाख रूपये की बचत (1100.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 80.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः सरकार द्वारा संचालित गृह में कैदियों की कम संख्या होने एवं रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(ग) महिलाओं का कल्याण – (i) महिला राज्य आयोग – 199.50 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः डी.सी.डब्लू. द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शायी गई अव्यतित शेष राशि का समायोजन करने के बाद स्वीकृतियां प्रदान करने के कारण हुई।

(ii) अनाथ लड़कियों एवं गरीब विधवाओं की लड़कियों को उनके विवाह के लिए वित्तीय सहायता – 138.50 लाख रूपये की बचत (1100.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः संबंधित जिला कार्यालयों में योग्य आवेदन पत्रों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) (सीएसएस) – 118.50 लाख रूपये की बचत (146.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः नए जिलों में कर्मचारियों के रिक्त पदों एवं निधियों की स्वीकृतियां/प्राधिकरण वित्त वर्ष के अंतिम समय में प्राप्त होने के कारण व्यय न किये जा सकने के कारण हुई।

(iv) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) (राज्य अंश) – 855.56 लाख रूपये की बचत (1457.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कर्मचारियों का स्थानांतरण, कम बिल, नए जिलों में कर्मचारियों के रिक्त पदों एवं निधियों की स्वीकृतियां/प्राधिकरण वित्त वर्ष के अंतिम समय में प्राप्त होने के कारण व्यय न किये जा सकने के कारण हुई।

(घ) स्वंयसेवी संस्थाओं को सहायता – सहायता अनुदान–(डीडब्लूसीडी) – 103.35 लाख रूपये की बचत (195.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एन.जी.ओस. को अनुदान जारी नहीं किया गया क्योंकि उन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था एवं कम संख्या में योग्य एन.जी.ओस. पाए जाने के कारण हुईं।

(ड.) अन्य कार्यक्रम – भागीदारी–सामाजिक विकास मे नई पहल – 477.95 लाख रूपये की बचत (480.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना चलाने के लिए जीआरसी परियोजना को राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया लेकिन राजस्व विभाग द्वारा कोई भी बिल प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

(च) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) विधवाओं को पेंशन (एससीएसपी) – 1173.05 लाख रूपये की बचत (8000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा एस.सी.एस.पी. श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों की कम संख्या में पहचान होने के कारण हुई।

(ii) लाडली योजना (एससीएसपी) – 201.75 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः संबंधित जिला कार्यालयों में कम संख्या में नए मामलों के प्राप्त होने एवं विद्यालयों से नवीकरण मामलों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2236"** – पोषण – पोषक आहार एवं पेयों का वितरण – (क) विशेष पोषण कार्यक्रम – (i) किशोरियों के लिए योजना (किशोरी शक्ति योजना) – 116.77 लाख रूपये की बचत (120.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई ।

(ii) पूरक पोषण कार्यक्रम – 3384.17 लाख रूपये की बचत (7788.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, कम बिलों की प्राप्ति, कम लाभार्थी एवं एस.एन.पी. लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण हुई।

(iii) पूरक पोषण कार्यक्रम (सीएसएस) – 3270.08 लाख रूपये की बचत (9000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, कम बिलों की प्राप्ति एवं एस.एन.पी. लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण हुई।

(iv) राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत किशोरियों के सशक्तीकरण (आर.जी.एस.ई.ए.जी. सबला) हेतू पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) (सी.एस.एस.) – 690.73 लाख रूपये की बचत (700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों में संशोधन होने के कारण आयु सीमा 11–18 से 11–14 वर्ष कर दी गई जिसके कारण लाभार्थियों की संख्या में कमी आने के कारण हुई।

(v) राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत किशोरियों के सशक्तीकरण (आर.जी.एस.ई.ए.जी. सबला) हेतू पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) (राज्य अंश) – 688.61 लाख रूपये की बचत (700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद एवं कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.सी.एस.पी.) – 864.04 लाख रूपये की बचत (1800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों एवं एस.एन.पी. लाभार्थियों में कमी होने के कारण हुई।

(ii) राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत किशोरियों के सशक्तीकरण (आर.जी.एस.ई.ए.जी. सबला) हेतू पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.सी.एस.पी.) (सी.एस.एस.) – 295.12 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के कारण हुई।

(iii) राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत किशोरियों के सशक्तीकरण (आर.जी.एस.ई.ए.जी. सबला) हेतू पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.सी.एस.पी.) (राज्य अंश) – 494.44 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अ.ज/अ.ज.जा. व पिछड़ा वर्ग का कल्याण – **(अ)** अनुसूचित जाति का कल्याण – (क) शिक्षा – (i) अ.ज/अ.ज.जा. व अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप/मैरिट स्कॉलरशिप – कक्षा I से XII – 686.56 लाख रूपये की बचत (4500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर सर्वर की समस्या के कारण 63493 लाभार्थियों के डेटा को संसाधित न कर सकने के कारण हुई।

(ii) विद्यालयों में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए पुस्तकों व लेखन सामग्री का निःशुल्क वितरण – 1342.54 लाख रूपये की बचत (5669.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, केन्द्रीय विद्यालय व दिल्ली कैंटोंमेन्ट बोर्ड विद्यालय से विस्तृत आकॅडे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) अ.जा. के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (सीएसएस) – 267.31 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः तकनीकी समस्या के कारण कुछ भुगतान जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) निर्देशन एवं प्रशासन (एससीएसपी) – 453.85 लाख रूपये की बचत (870.74 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद एवं कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ii) स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों व लेखन सामग्री का निःशुल्क वितरण (एससीएसपी) – 1514.87 लाख रूपये की बचत (3800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(iii) अ.जा/अ.ज.जा/अ.पी.वा. एवं अल्प संख्यक छात्रों के लिए छात्रवृति /मैरिट छात्रवृति – कक्षा I से XII (एससीएसपी) – 1177.45 लाख रूपये की बचत (2800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः 1060 आवेदनों के सत्यापन में देरी होने, 62936 लाभार्थियों के डेटा को संसोधित न कर सकने एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, केन्द्रीय विद्यालय व दिल्ली कैंटोंमेन्ट बोर्ड विद्यालय से विस्तृत आँकंडे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iv) निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस की अदायगी (एससीएसपी) – 591.37 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने, लाभार्थियों की कम संख्या होने एवं स्कूल/जिला स्तर पर 1050 आवेदनों के सत्यापन में देरी होने के कारण हुई।

(v) जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना (एससीएसपी) – 935.02 लाख रूपये की बचत (2400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने पर दूसरी किस्त जारी न कर सकने के कारण हुई।

(**ब**) पिछड़े वर्गो का कल्याण – अन्य व्यय – अल्पसंख्यक आयोग को सहायता अनुदान – 122.02 लाख रूपये की बचत (346.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रतिबंद्ध एवं प्रत्याशित व्यय के लिए प्रावधान रखने के कारण हुई।

(स) सामान्य – (क) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अ.जा./अ.ज.जा छात्रों के लिए छात्रवृति (एससीएसपी) – 198.29 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय के अ.ज./अ.ज.जा के छात्रों के लिए छात्रवृति (एससीएसपी)– 299.10 लाख रूपये की बचत (350.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या होने, स्कूल/संस्थानों द्वारा आवेदनों के सत्यापन में देरी करने एवं कम संख्या में आवेदनों के प्राप्त होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2041"** – वाहनों पर कर – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – प्रभार वसूली – 459.42 लाख रूपये की बचत (6311.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 995.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम दावों की प्राप्ति एवं रिक्त पदों के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – (i) अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – 476.74 लाख रूपये की बचत (952.80 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, रिक्त पदों एवं अन्य लघु शीर्षो में कम दावों/कोई दावा न होने के कारण हुई।

(ii) पार्किंग फीस के बदले स्थानीय निकायों को मुआवज़ा – उत्तरी दिल्ली नगर निगम – 732.78 लाख रूपये की बचत (3895.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पार्किंग शुल्क का संग्रह कम होने के कारण हुई।

(iii) पार्किंग फीस के बदले स्थानीय निकायों को मुआवज़ा – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम – 941.22 लाख रूपये की बचत (4998.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पार्किंग शुल्क का संग्रह कम होने के कारण हुई।

(iv) पार्किंग फीस के बदले स्थानीय निकायों को मुआवज़ा – पूर्वी दिल्ली नगर निगम – 396.23 लाख रूपये की बचत (2105.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पार्किंग शुल्क का संग्रह कम होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "3055"** – सड़क परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपकमों को सहायता – घाटा पूर्ती के लिए क्लस्टर बसों को क्षतिपूर्ती – 710.00 लाख रूपये की बचत (45000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों एवं दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "3075"** – अन्य परिवाहन सेवायें – अन्य – अन्य व्यय – अन्य योजनाओं के लिए अध्ययन/परामर्शदात्री सेवायें – 198.91 लाख रूपये की बचत (711.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 710.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः डी.आई.एम.टी.सी. के चालान विभिन्न करणों से वित्तीय वर्ष 2018–19 में न रख पाने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "3452"** – पर्यटन – सामान्य – प्रसार एवं प्रचार – (i) दिल्ली एक गंतव्य–पर्यटन को प्रोत्साहन – 569.51 लाख रूपये की बचत (1055.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने, पिछले वर्ष की अव्यतित राशि से व्यय को समायोजित करने एवं दक्षिणी राज्यों में बाढ़ के कारण अनुसूचित हाटो/सम्मेलनों व आयोजनों में शामिल न हो सकने के कारण हुई।

(ii) पर्यटन का आधारभूत ढांचा – 354.45 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने, पिछले वर्ष की अव्यतित राशि से व्यय को समायोजित करने एवं कनॉट प्लेस कॉफी होम व दिल्ली हाट (आईएनए) का नवीनीकरण एवं उन्नयन का कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 1937.28 लाख रूपये की बचत 25 उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जोकि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थी :–

1 **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) विकलांगों का कल्याण – विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता –989.53 लाख रूपये का अधिक व्यय (21301.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4501.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सब्सिडी जारी करने के कारण हुआ।

(ख) प्रशासन व निर्देशन – सुरक्षा–आंतरिक व बाह्य सफाई (डीडबलूसीडी) – 426.18 लाख रूपये का अधिक व्यय (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद के कारण हुआ।

(ग) बाल कल्याण – किशोर न्याय का परिपालन (बाल रक्षा) अधिनियम 2000 –149.12 लाख रूपये का अधिक व्यय (800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरे जाने, अधिक बिल एवं अधिक खरीद के कारण हुआ।

(घ) महिलाओ का कल्याण – विधवाओं को पेंशन – 474.23 लाख रूपये का अधिक व्यय (55600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 9600.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2236"** – पोषण – पोषक आहार एवं पेयों का वितरण – विशेष पोषक कार्यक्रम – पोषण अभियान (सीएसएस) – 161.58 लाख रूपये का अधिक व्यय (3.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों एवं अधिक खरीद के कारण हुआ ।

3. **मुख्यशीर्ष "3452"** – पर्यटन – पर्यटक अवस्थापना – सार्वजनिक क्षेत्रों व अन्य उपक्रमों को सहायता – दिल्ली होटल प्रबंधन व खानपान तकनीकी संस्थान को सहायता अनुदान – 441.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (101.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ ।

इसके अतिरिक्त 64.80 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जोकि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 104236.18 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि (149106.25 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 90860.25 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) कुल स्वीकृत प्रावधान का 69.90 प्रतिशत थी।

18268.00 लाख रूपये की राशि 11 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "4235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय – समाज कल्याण – (क) वृद्धों, अशक्त तथा निराश्रितों का कल्याण – वृद्धावस्था गृह – 500.00 लाख रूपये – कम निर्माण एवं वृद्धआश्रम की स्थापना के लिए भूमि की खरीद न होने के कारण ।

(ख) बाल कल्याण – प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रों में सी.सी.टी.वी. –2000.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी प्रगति एवं योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ग) महिलाओं का कल्याण – कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण – 100.00 लाख रूपये – डी.डी.ए. से भूमि की खरीद न होने के कारण।

(घ) अन्य व्यय – विद्यमान भवनो में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डब्लू.सी.डी.) – 150.00 लाख रूपये – सक्षम अधिकारी द्वारा कुछ प्रस्तावों पर स्वीकृति न देने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "5055"** – सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय – सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों में निवेश – (i) बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को समान पूंजी – 15000.00 लाख रूपये – डी.टी.सी. को पूंजीगत इक्विटी जारी न होने के कारण।

(ii) डीटीसी एवं कलस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना (सीएसएस) – 500.00 लाख रूपये – भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

समाज कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "4235"

समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय

मू.	2100.00)				
पु.	–500.00)	1600.00	361.93	–1238.07	

परिवहन विभाग

मुख्यशीर्ष "5055"

सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय

मू.	34602.00)			
पू.	49859.25)			
पु.	–64899.00)	19562.25	17046.17	–2516.08

मुख्यशीर्ष "7055"

सड़क परिवहन के लिए ऋण

मू.	12779.00)			
पू.	41001.00)			
पु.	–32791.00)	20989.00	20988.00	–1.00

1.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षो के अन्तर्गत हुई :–

1 **मुख्यशीर्ष "4235"** – समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय – समाज कल्याण – (क) विकलांगों का कल्याण – विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (एसआईपीडीए) (सीएसएस) – 1106.22 लाख रूपये की बचत (1400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति, निश्चित अवधि में एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – विद्यमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (एसडब्लूडी) – 131.85 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः संबंधित पी.ए.ओ. द्वारा बिलों पर उठाई गई आपत्तियों के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "5055"** – सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय – (क) भूमि व भवन – (i) परिवहन विभाग – 100.41 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः बिलों के पूर्ण रूप से तैयार न होने के कारण हुई।

(ii) नए बस अड्डों के लिए भूमि खरीद – 1846.57 लाख रूपये की बचत (8000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पी.डब्लू.डी./डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित समय में कार्य को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों में निवेश – (i) एम.आर.टी. प्राधिकरण को समान पूंजी – 45000.00 लाख रूपये की बचत (53813.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 48813.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः योजना का कार्यान्वयन न होने एवं एम.आर.टी. प्राधिकरण को कम इक्विटी पूंजी जारी होने के कारण हुई।

(ii) डी.टी.सी. और क्लस्टर बसों में सी.सी.टी.वी कैमरों की स्थापना (राज्य अंश) – 4443.36 लाख रूपये की बचत (4500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय – विद्युतीय ट्रॉली बसों का आरम्भ–यातायात का वैकल्पिक साधन – 437.01 लाख रूपये की बचत (1546.25 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1046.25 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली मेरठ आर.आर.टी.एस गलियारे को बनाने के लिए रखी गई राशि का समर्पण करने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "7055"** – सड़क परिवहन के लिए ऋण – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपकमों को ऋण – एम.आर.टी.एस. के लिए भूमि अधिकरण हेतु अधीनस्थ ऋण – 35000.00 लाख रूपये की बचत(45000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 40000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 85.73 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जोकि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थी :–

1. **मुख्यशीर्ष "7055"** – सड़क परिवहन के लिए ऋण – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपकमों को ऋण – केन्द्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए एम.आर.टी.एस. को ऋण – 2209.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (5001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः एम.आर.टी.एस. को केन्द्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए ऋण पर अतिरिक्त व्यय करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 9 – उद्योग

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
			(हजार रूपयों में)
राजस्व			
प्रभारित –	13,50	..	–13,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
स्वीकृत–			
मूल 443,74,50)			
पूरक 1,32)	443,75,82	159,46,90	–284,28,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			–268,87,32
पूंजीगत			
स्वीकृत –	3,27,00	10,04	–3,16,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			–2,08,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 13.50 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि (13.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 100 प्रतिशत थी ।

13.50 लाख रूपये की राशि तीन उपशीर्षो के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 28428.92 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि (44375.82 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.32 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 64.06 प्रतिशत थी ।

664.45 लाख रूपये की राशि 23 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "2851"** – ग्रामीण व लघु उद्योग – अन्य व्यय – ई–बिज पोर्टल के साथ सेवाओं का एकीकरण (सीएसएस) – 100.00 लाख रूपये – कम बिलों के कारण ।

2 **मुख्यशीर्ष "3456"** – नागरिक आपूर्ति – अन्य व्यय – राज्य खाद्य आयोग – 100.00 लाख रूपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

3 **मुख्यशीर्ष "3475"** – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – माप तोल का विनियमन – न्यायिक माप विज्ञान स्कंध का सुदृढीकरण (सीएसएस) – 154.20 लाख रूपये – पी.डब्लू.डी. द्वारा कार्य को आरम्भ न करने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

उद्योग विभाग

मुख्यशीर्ष "2851"

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

मू.	2413.50)			
पू.	00.32)			
पु.	–235.32)	2178.50	1794.57	–383.93

श्रम विभाग

मुख्यशीर्ष "2230"

श्रम एवं रोजगार

मू.	2857.00)			
पु.	–237.00)	2620.00	2370.05	–249.95

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

मुख्यशीर्ष "3456"

नागरिक आपूर्ति

मू.	36824.80)			
पू.	1.00)			
पु.	–26314.80)	10511.00	10195.88	–315.12

माप तोल विभाग

मुख्यशीर्ष "3475"

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

मू.	1186.20)			
पु.	–193.20)	993.00	638.09	–354.91

1.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुईः–

1. **मुख्यशीर्ष "2851"** – ग्रामीण एवं लघु उद्योग – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – मुख्यालय स्थापना – 128.00 लाख रूपये की बचत (1323.92 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 0.32 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने एवं आदर्श आचार सहिंता के कारण कुछ खरीद प्रस्तावों के अमल में न आने के कारण हुई।

(ख) लघु उद्योग – प्रचार, अधिप्रचार एवं प्रदर्शनी – 162.36 लाख रूपये की बचत (198.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विज्ञापन व प्रचार पर कम व्यय होने एवं आदर्श आचार संहिता के कारण एम.एस.एम.ई. पखवाडे का आयोजन न होने के कारण हुई।

(ग) खादी तथा ग्राम उद्योग – खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड – 144.08 लाख रूपये की बचत (600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निधियों के जारी न होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2230"** – श्रम एवं रोजगार – श्रम – निर्देशन एवं प्रशासन – मुख्यालय स्थापना – 299.83 लाख रूपये की बचत (2640.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदो, कुछ कर्मचारियों के वेतन बकाया आदेशों के प्राप्त न होने के कारण, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, सुरक्षा सेवाओं के भुगतान के प्रस्ताव के अमल में न आने एवं शब्दार्थ द्वारा विज्ञापन बिलों का भुगतान करने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "3456"** – नागरिक आपूर्ति – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – 463.91 लाख रूपये की बचत (4500.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, एवं नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों के दस्तावेजों के सत्यापित न होने की वजह से उन्हें वेतन न दे पाने के कारण हुई ।

(ख) नागरिक आपूर्ति योजनाएँ – (i) गरीबी रेखा के नीचे पर ध्यान देने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू करना – 24978.00 लाख रूपये की बचत (30000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों एवं योजना की धीमी गति के कारण हुई।

(ii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण (टीपीडीएस)–राज्य अंश – 597.82 लाख रूपये की बचत (650.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के कारण हुई।

(ग) उपभोक्ता को छूट – उपभोक्ताओं को चीनी के लिए छूट – 138.51 लाख रूपये की बचत (304.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लाभार्थियों के कारण हुई।

(घ) अन्य व्यय – जिला फोरम एवं राज्य आयोग – 235.24 लाख रूपये की बचत (1082.45 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों एवं नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों के दस्तावेजों के सत्यापित न होने की वजह से उन्हें वेतन न दे पाने के कारण हुई ।

4. **मुख्यशीर्ष "3475"** – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – मापतोल का विनियमन – मानक माप तोल प्रवर्तन – 393.91 लाख रूपये की बचत (1032.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 192.59 लाख़ रूपये की बचत तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड रूपये से कम थी ।

इसके अतिरिक्त 65.53 लाख़ रूपये की बचत एक उपशीर्षं के अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड रूपये से कम थी ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 316.96 लाख रूपये की कुल बचत थी (327.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि कुल स्वीकृत प्रावधान का 96.92 प्रतिशत थी ।

277.00 लाख रूपये की राशि पांच उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1 **मुख्यशीर्ष "6851"** – ग्रामीण व लघु उद्योगों के लिए ऋण – (क) औद्योगिक संपदा – उन्नयन और औद्योगिक क्षेत्रों की नागरिक सेवाओं/फलेटिड कारखाना परिसरों के सुधार के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. को ऋण – 100.00 लाख रूपये – ऋण के जारी न होने के कारण।

(ख) खादी एवं ग्रामीण उद्योग – राजीव गांधी स्वावलम्बी रोजगार योजना के लिए दिल्ली खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड को ऋण – 125.00 लाख रूपये – ऋण के जारी न होने के कारण।

अनुदान संख्या 10 – विकास

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित –				
मूल	24,42)			
पूरक	31,08)	55,50	26,96	–28,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–3,00
स्वीकृत –				
मूल	2630,33,58)			
पूरक	4,85,45)	2635,19,03	2117,57,09	–517,61,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–199,79,53
पूंजीगत				
प्रभारित –				
मूल	20,00)			
पुनःविनियोजन	30,00)	50,00	7,98	–42,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं
स्वीकृत				
मूल	350,55,00)			
पूरक	25,01,00)	375,56,00	245,98,69	–129,57,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–34,06,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 28.54 लाख रूपये की कुल बचत (55.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 31.08 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 51.42 प्रतिशत थी ।

26.50 लाख रूपये की राशि सात उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 51761.94 लाख रूपये की कुल बचत (263519.03 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 485.45 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 19.64 प्रतिशत थी ।

5774.04 लाख रूपये की राशि 63 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "2401"** – कृषि पालन – कृषि फॉर्म – (i) स्मार्ट कृषि योजना – 450.00 लाख रूपये – कम बिलों एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ii) परंपरागत कृषि विकास योजना (सीएसएस) – 471.45 लाख रूपये – वित्तीय वर्ष में आवंटित आरसी/गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्य के पूरा न करने के कारण ।

2. **मुख्यशीर्ष "2405"** – मत्स्य पालन – अन्तर्देशीय मत्स्य पालन – (i) ब्लू क्रांति समन्वित विकास और मत्स्य पालन के प्रबंधन (सी.एस.एस) – 201.00 लाख रूपये – आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।

(ii) ब्लू क्रांति समन्वित विकास और मत्स्य पालन के प्रबंधन (राज्य अंश) – 121.00 लाख रूपये – आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण ।

3. **मुख्यशीर्ष "2030"** – स्टाम्प और पंजीकरण – स्टाम्प न्यायिक – स्टाम्पों की लागत – राजस्व सचिव – 210.00 लाख रूपये – खरीद न होने के कारण ।

4. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – अन्य व्यय – राजस्व सचिव – दिल्ली ई जिला कार्यान्वयन सोसाइटी को सहायता अनुदान – ई जिला परियोजना – 150.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने के कारण ।

5. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अ.ज./अ.ज.जा एवं पिछडा वर्गं का कल्याण – **(अ)** अनुसूचित जातियों का कल्याण – अन्य व्यय – अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम – 1100.00 लाख रूपये – भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त होने एवं कार्यान्वयन करने वाली संस्था पी.डब्लू.डी. द्वारा योजना का संचालन न करने के कारण ।

(ब) पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा – अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति योजना (सीएसएस) – 600.00 लाख रूपये – विभाग द्वारा योजना का संचालन न करने के कारण ।

6. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम – अन्य कार्यक्रम – गवाह संरक्षण कोष – 200.00 लाख रूपये – ऐसे मामलों के प्राप्त न होने के कारण।

7. **मुख्यशीर्ष "2245"** – प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत – सामान्य – आपदा उन्मुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक योजना पर प्रबंधन – आपदा आकस्मिकता योजना/आपदा प्रतिक्रिया कोष – 500.00 लाख रूपये – नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा स्वीकृत लेखा प्रक्रिया के न होने के कारण।

8. **मुख्यशीर्ष "2406"** – वनविद्या और वन्य जीवन – पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन – अन्य व्यय – दिल्ली में हरियाली गतिविधियों की पड़ताल – 145.00 लाख रूपये – कम खरीद होने एवं कम बिलों के कारण।

9. **मुख्यशीर्ष "2015"** – चुनाव – राज्य/संघ विधान मंडलों के चुनाव कराने के लिए प्रभार– (i) नई दिल्ली जिला – चुनावों पर व्यय – 150.00 लाख रूपये – राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के विधान मंडल में चुनाव आयोजित न होने कारण।

(ii) उत्तर–पश्चिम जिला – चुनावों पर व्यय – 150.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण।

(iii) शाहदरा जिला – चुनावों पर व्यय – 150.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण।

(iv) दक्षिण–पूर्वी जिला – चुनावों पर व्यय – 450.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "2401"

कृषि पालन

मू.	2119.00)			
पू.	472.45)			
पु.	–511.22)	2080.23	964.99	–1115.24

मुख्यशीर्ष "2403"

पशुपालन

मू.	3301.00)			
पू.	1.00)			
पु.	280.90)	3582.90	2638.95	–943.95

मुख्यशीर्ष "2515"

अन्य ग्रामीण विकास योजना

मू.	1200.00)			
पु.	–850.00)	350.00	337.57	–12.43

सहकारिता विभाग

मुख्यशीर्ष "2425"

सहयोग

मू.	1703.00)			
पु.	–344.00)	1359.00	1301.93	–57.07

सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग

मुख्यशीर्ष "2075"
विविध सामान्य सेवाएं

मू.	720.00)			
पु.	430.00)	1150.00	1042.69	−107.31

मुख्यशीर्ष "2711"
बाढ़ नियंत्रण एवं निष्कासन

मू.	16396.00)			
पू.	1.00)			
पु.	1813.00)	18210.00	17468.80	−741.20

मण्डल आयुक्त कार्यालय

मुख्यशीर्ष "2030"
स्टैंम्प एवं पंजीकरण

मू.	172980.00)			
पु.	−35070.00)	137910.00	135499.42	−2410.58

मुख्यशीर्ष "2052"
सचिवालय सामान्य सेवाएं

मू.	730.00)			
पू.	1.00)			
पु.	199.00)	930.00	885.69	−44.31

मुख्यशीर्ष "2053"
जिला प्रशासन

मू.	11733.74)			
पू.	2.00)			
पु.	5723.00)	17458.74	14283.12	−3175.62

मुख्यशीर्ष "2070"
अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	1565.80)			
पू.	1.00)			
पु.	143.88)	1710.68	1192.48	−518.20

मुख्यशीर्ष "2075"
विविध सामान्य सेवाएं

मू.	300.00)			
पु.	−163.42)	136.58	93.95	−42.63

मुख्यशीर्ष "2225"
अ.ज/अ.ज.जा एवं पिछडा वर्ग

मू.	2009.00)			
पु.	−800.00)	1209.00	7.26	−1201.74

मुख्यशीर्ष "2235"
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	7662.00)			
पू.	1.00)			
पु.	966.00)	8629.00	5401.77	–3227.23

मुख्यशीर्ष "2245"
प्राकृतिक आपदाओं
के लिए राहत

मू.	2941.00)			
पू.	1.00)			
पु.	9999.00)	12941.00	1653.82	–11287.18

मुख्यशीर्ष "2515"
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

मू.	769.96)			
पु.	–48.46)	721.50	478.66	–242.84

वन विभाग
मुख्यशीर्ष "2406"
वानिकी एवं वन्य जीव जन्तु

मू.	4458.25)			
पु.	86.95)	4545.20	4386.20	–159.00

नई दिल्ली क्षेत्र
मुख्यशीर्ष "2015"
चुनाव

मू.	859.00)			
पु.	320.00)	1179.00	491.05	–687.95

मुख्यशीर्ष "2053"
जिला प्रशासन

मू.	1355.65)			
पु.	–229.85)	1125.80	980.75	–145.05

दक्षिणी क्षेत्र
मुख्यशीर्ष "2015"
चुनाव

मू.	804.20)			
पु.	–30.50)	773.70	415.70	–358.00

दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्र
मुख्यशीर्ष "2053"
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	1064.87)			
पु.	79.00)	1143.87	930.04	–213.83

पूर्वी क्षेत्र
मुख्यशीर्ष "2015"
चुनाव

मू.	1587.40)			
पु.	−441.00)	1146.40	865.75	−280.65

मुख्यशीर्ष "2053"
जिला प्रशासन

मू.	1144.00)			
पु.	−13.00)	1131.00	839.47	−291.53

पश्चिमी क्षेत्र
मुख्यशीर्ष "2015"
चुनाव

मू.	1371.00)			
पु.	−394.00)	977.00	557.78	−419.22

मुख्यशीर्ष "2053"
जिला प्रशासन

मू.	1260.00)			
पु.	13.00)	1273.00	958.42	−314.58

उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र
मुख्यशीर्ष "2015"
चुनाव

मू.	890.80)			
पु.	−200.00)	690.80	539.07	−151.73

मुख्यशीर्ष "2053"
जिला प्रशासन

मू.	860.50)			
पु.	−114.00)	746.50	731.25	−15.25

उत्तरी–पश्चिमी क्षेत्र
मुख्यशीर्ष "2053"
जिला प्रशासन

मू.	1297.00)			
पु.	7.00)	1304.00	1040.19	−263.81

उत्तरी क्षेत्र
मुख्यशीर्ष "2015"
चुनाव

मू.	1183.20)			
पु.	−269.00)	914.20	653.71	−260.49

मुख्यशीर्ष "2053"			
जिला प्रशासन			
मू. 1060.20)			
पु. –62.65)	997.55	837.36	–160.19
दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्र			
मुख्यशीर्ष "2015"			
चुनाव			
मू. 1065.00)			
पु. –505.25)	559.75	424.10	–135.65
पर्यावरण विभाग			
मुख्यशीर्ष "2501"			
ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	530.00	414.25	–115.75
मुख्यशीर्ष "3435"			
पारिस्थितिकी और पर्यावरण			
मू. 1452.50)			
पू. 2.00)			
पु. 408.00)	1862.50	1388.89	–473.61

1.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2401"** – कृषि पालन – कृषि सम्बन्धि अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी – पशुओं की जनगणना (सी. एस.एस) – 410.56 लाख रूपये की बचत (440.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम निधि प्राप्त होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2403"** – पशुपालन – (क) निर्देशन व प्रशासन – मुख्यालय स्थापना – 105.36 लाख रूपये की बचत (912.60 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वी.एल.आई. के एम.ए.सी.पी. मामलों के पूर्ण न होने के कारण हुई ।

   (ख) पशु चिकित्सालय सेवाएं व पशु स्वास्थ्य – (i) अस्पताल एवं औषद्यालय – 170.36 लाख रूपये की बचत (1584.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, कम बिलों, कम खरीद होने, कम मरम्मत कार्यों एवं वी.ओ. के एम.ए.सी.पी. मामलों के पूर्ण न होने के कारण हुई ।

   (ii) अस्पतालों और औषधालयों में पशु चिकित्सा संक्रामक रोगों की रोकथाम – 110.87 लाख रूपये की बचत (201.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः आदर्श आचार संहिता की वजह से चिकित्सिय निविदाओं का निपटारा न होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2515"** – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – (क) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – आई.डी.आर.वी. के माध्यम से ग्रामीण विकास बोर्ड के कार्य जिसमें जल निकास सम्मिलित हैं तथा 5 प्रतिशत परिव्यय ग्रामीण विकास बोर्ड के कार्यों की मरम्मत हेतू जुडी है (एस.सी.एस.पी.) – 163.80 लाख रूपये की बचत (180.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत कार्यों के कारण हुई ।

(ख) अन्य व्यय – आई.डी.आर.यू.वी. के माध्यम से ग्रामीण विकास बोर्ड के कार्य जिसमें जल निकास सम्मिलित हैं तथा 5 प्रतिशत परिव्यय ग्रामीण विकास बोर्ड के कार्यों की मरम्मत हेतू जुडी है (सामान्य) – 748.46 लाख रूपये की बचत (820.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत कार्यों के कारण हुई ।

4. **मुख्यशीर्ष "2425"** – सहकारिता – निर्देशन एवं प्रशासन – मुख्यालय स्थापना – 327.83 लाख रूपये की बचत (1375.80 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, कम खरीद होने एवं कम दावों के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2711"** – बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी – बाढ़ नियंत्रण – निर्देशन एवं प्रशासन – 1018.85 लाख रूपये की बचत (3836.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः छात्रवृत्तियों के जारी न होने, रिक्तियों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने एवं कम बिलों के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2030"** – स्टैंप एवं पंजीकरण – **(अ)** स्टैम्प न्यायिक – स्टैम्पों की बिक्री पर व्यय – राजस्व सचिव – 445.36 लाख रूपये की बचत (550.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों, मौजूदा स्टॉक के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में आई.एस.पी. नासिक को कम मांगपत्र जारी होने के कारण हुई।

(ब) पंजीकरण – निर्देशन एवं प्रशासन – (i) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश – नई दिल्ली नगर परिषद को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान – 3647.36 लाख रूपये की बचत (7000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने, ई स्टैम्प की कम बिक्री होने एवं वर्ष 2018–19 में नई दिल्ली नगर निगम द्वारा देय राशि का दावा न करने के कारण हुई।

(ii) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश – उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान – 13300.32 लाख रूपये की बचत (65000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान – 16200.64 लाख रूपये की बचत (80000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश – पूर्वी दिल्ली नगर निगम को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान – 3500.67 लाख रूपये की बचत (17500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासनं – जिला स्थापना – राजस्व सचिव – 388.36 लाख रूपये की बचत (3271.74 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने व सक्षम अधिकारी की कुछ अनुशस्तियों का कार्यान्वयन न हो सकने एवं जिला कार्यालय के रिकॉडों के डिजिटलीकरण/स्कैनिंग के कार्य के क्रियान्वित न हो सकने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – अन्य व्यय – सिविल डिफेंस – निर्देशन और प्रकाशन – 323.32 लाख रूपये की बचत (1515.80 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के तद्नुसार अन्य व्यय, चिकित्सा व अन्य प्रभारों आदि के वर्ष 2018–19 के दौरान कम रहने के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "2075"** – विविध सामान्य सेवाएं – विशिष्ट सेवाओं के लिए पेंशन तथा पुरस्कार – राजस्व सचिव – 206.05 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों के कम होने के कारण हुई।

10. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अ.ज./अ.ज.जा एवं पिछडे वर्गों का कल्याण – अनुसूचित जातियों का कल्याण – अन्य व्यय – अल्पसंख्यक बाहुल्यों जिलों के लिए बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम–राज्य अंश – 292.74 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

11 **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – **(अ)** पुनर्वास – अन्य राहत उपाय – (i) 1984 के दंगों के शिकार लोगों के संबंध में भुगतान – 796.66 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः 1984 में मृत प्रत्येक व्यक्तियों को 5.00 लाख रूपये की अनुग्रह राशि (परिवर्धित राहत) का भुगतान न करने के कारण हुई।

(ii) जम्मू एवं कश्मीर के विस्थापितों के संबंध में मासिक तदर्थ राहत का भुगतान – 1040.22 लाख रूपये की बचत (4000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की वजह से कुछ मामलों के जाँच में आने के कारण हुई।

(ब) समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम – अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं – 995.50 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के धीमी गति से लागू होने के कारण हुई।

12 **मुख्यशीर्ष "2245"** – प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत – बाढ, तूफान इत्यादि – निःशुल्क राहत – राजस्व सचिव – अन्य मदें – 599.00 लाख रूपये की बचत (1301.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः केवल प्राकृतिक आपदाओं में राहत के लिए निधि के नियत/संरक्षित रखने के कारण हुई।

13 **मुख्यशीर्ष "2515"** – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – सामुदायिक विकास – सामुदायिक विकास कार्मिक – 166.55 लाख रूपये की बचत (524.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

14 **मुख्यशीर्ष "2406"** – वानिकी एवं वन्यजीव – **(अ)** वानिकी – सामाजिक एवं खेती वानिकी – वृक्षारोपण योजना – पौधो के बीजो का वितरण एवं रोपण – 311.77 लाख रूपये की बचत (2667.99 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने एवं कम बिलों/दावों के कारण हुई।

15. **मुख्यशीर्ष "2015"** – चुनाव – (क) संसद के लिए चुनाव करानें पर व्यय – (i) नई दिल्ली जिला – लोक सभा चुनाव कराना – 113.45 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अगले वित्त वर्ष में होने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से पूर्ण राशि का उपयोग न करने के कारण हुई।

(ii) दक्षिण जिला – लोक सभा चुनाव कराना – 150.71 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) पूर्वी जिला – लोक सभा चुनाव कराना – 130.96 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त वर्ष 2018–19 में लोकसभा चुनाव के आयोजित न होने के कारण हुई।

(iv) पश्चिमी जिला – लोक सभा चुनाव कराना – 158.43 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लोकसभा चुनाव के आयोजित न होने के कारण हुई।

(v) उत्तर पूर्वी जिला – लोक सभा चुनाव कराना – 126.49 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

(vi) उत्तरी जिला – लोक सभा चुनाव कराना – 142.44 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः संसदीय चुनाव के संबंध में कम बिलों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) राज्य/संघ क्षेत्र के विधान मंडलों के चुनाव कराने पर प्रभार – (i) दक्षिण जिला – चुनावों पर व्यय – 148.99 लाख रूपये की बचत (150.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

(ii) पूर्वी जिला – चुनावों पर व्यय – 699.70 लाख रूपये की बचत (700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

(iii) पश्चिमी जिला – चुनावों पर व्यय – 449.92 लाख रूपये की बचत (450.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

(iv) उत्तर पूर्वी जिला – चुनावों पर व्यय – 122.89 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

(v) उत्तरी जिला – चुनावों पर व्यय – 251.88 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने के कारण हुई।

(ग) मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना – पश्चिमी जिला – 117.13 लाख रूपये की बचत (215.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः चुनाव आयुक्त कार्यालय में सभी मतदाताओं के नये ई.पी.आई.सी. कार्डो की छपाई के लिए अनुमोदन के लंबित रहने के कारण हुई।

(घ) मत सूची को तैयार करना व छपवाना – दक्षिण–पूर्वी जिला – 123.35 लाख रूपये की बचत (250.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम प्रकाशन एवं विक्रेताओं से कम बिलों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

16. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – (क) जिला स्थापना – (i) नई दिल्ली क्षेत्र – 354.49 लाख रूपये की बचत (1250.05 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों एवं कम दावों/बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) पूर्वी क्षेत्र – 267.76 लाख रूपये की बचत (1101.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं कुछ खरीद प्रस्तावों व पेशेवर प्रभारों के लिए सरकारी परामर्श दाताओं को भुगतान के संबंध में प्रशासकीय अनुमोदन न प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) पश्चिमी क्षेत्र – 229.25 लाख रूपये की बचत (1151.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, फर्नीचर की खरीद न होने एवं अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण कुछ बिलों का भुगतान नहीं किए जा सकने के कारण हुई।

(iv) उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र – 114.89 लाख रूपये की बचत (835.50 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(v) उत्तरी–पश्चिमी क्षेत्र – 148.22 लाख रूपये की बचत (1081.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं किराये पर लिये गए अम्बेडकर भवन, रोहिणी के बिजली बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(vi) उत्तरी क्षेत्र – 137.28 लाख रूपये की बचत (944.91 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों की प्राप्ति एवं उर्स कैंप 2016 व स्वच्छता सेवाओं से सम्बंधित भुगतान का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ख) अन्य स्थापना – भूमि अधिग्रहण स्थापना – दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्र – 115.61 लाख रूपये की बचत (254.88 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वकीलों के बिलों को संसाधित न करने के कारण हुई।

17. **मुख्यशीर्ष "2501"** – ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम – समेकित ग्रामीण उर्जा योजना कार्यक्रम – परियोजना का कार्यान्वयन – जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए महात्मा गॉधी संस्थान को सहायता अनुदान (एमजीआईसीसीसी) – 115.75 लाख रूपये की बचत (530.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः संस्थान द्वारा पिछले वर्ष की अव्ययित राशि एवं विविध प्राप्तियों का उपयोग करने के कारण हुई।

18. **मुख्यशीर्ष "3435"** – पारिस्थितिकी और पर्यावरण – वातावरणीय अनुसंधान एवं पारिस्थितिकीय पुनर्योजन – अनुसंधान एवं पारिस्थितिकीय पुनर्योजन – वातावरणीय आंकड़ों का उत्पादन सर्वेक्षण, अनुसंधान प्रयोजन तथा अन्य गतिविधियाँ – 121.38 लाख रूपये की बचत (137.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 1800.85 लाख रूपये की बचत 30 उपशीर्षो के अन्तर्गत हुई जोकि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षो के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से, अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थीं :–

1. **मुख्यशीर्ष "2075"** – विविध सामान्य सेवाएं – अन्य व्यय – पेट्रोल आपूर्ति योजना – 322.69 लाख रूपये का अधिक व्यय (720.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2711"** – बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी – **(अ)** बाढ़ नियंत्रण – मशीनरी एवं उपकरण – रख–रखाव – 232.08 लाख रूपये का अधिक व्यय (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक लघु कार्यो के कारण हुआ।

   (ब) जल निकासी – मशीनरी एवं उपकरण – रख–रखाव – 1873.19 लाख रूपये का अधिक व्यय (11001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक लघु कार्यो के कारण हुआ ।

3. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवाएं – सचिवालय – दिल्ली वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान – 154.69 लाख रूपये का अधिक व्यय (731.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

4. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – जिला स्थापना – (i) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा – 2844.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (5301.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के कारण हुआ।

   (ii) विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए सेवाएं – 252.75 लाख रूपये का अधिक व्यय (3001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के कारण हुआ।

5. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – अन्य सामाजिक सुरक्षा एंव कल्याण कार्यक्रम – अन्य कार्यक्रम – रक्षा/दिल्ली पुलिस/अर्धसैनिक/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षाकर्मी के लड़ाई व कार्यवाही के दौरान मरने पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी – 1089.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों के अधिक होने के कारण हुआ।

6. **मुख्यशीर्ष "2406"** – वानिकी और वन्य जीवन – पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन – जन उद्यान – चकबन्दी सहित वनों का विकास – 230.46 लाख रूपये का अधिक व्यय (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद होने, अधिक मरम्मत कार्यो एवं अधिक बिलों के कारण हुआ।

7. **मुख्यशीर्ष "3435"** – पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण – अन्य – अन्य व्यय – दिल्ली उद्यान एवं वाटिका समितियां – 174.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (451.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त 258.59 लाख रूपये का अधिक व्यय तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत हुआ जोकि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रूपये से कम था ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 42.02 लाख रूपये की कुल बचत हुई (50.00 लाख रूपये के स्वीकृत विनियोजन एवं 30.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 84.04 प्रतिशत थी ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 12957.31 लाख रूपये की कुल बचत थी (37556.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2501.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 34.50 प्रतिशत थी ।

2502.00 लाख रूपये की राशि छः उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "4401"** – पौध पालन पर पूँजी परिव्यय – पौध पालन – स्मार्ट कृषि योजना – 550.00 लाख रूपये – कम खरीद होने एवं योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "4515"** – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजी परिव्यय – सामुदायिक विकास – जल निकायों का कायाकल्प और पुनर्जीवन – 1600.00 लाख रूपये – योजना के स्थानांतरित होने के कारण।
3. **मुख्यशीर्ष "4070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय – अन्य व्यय – सिविल सुरक्षा – 150.00 लाख रूपये – कम खरीद होने के कारण।
4. **मुख्यशीर्ष "4250"** – अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय – प्राकृतिक आपदाएं – आपदा आकस्मिकता योजना/आपदा प्रतिक्रिया निधि – 200.00 लाख रूपये – स्वीकृत लेखा पद्वति प्रक्रिया के न होने के कारण आपदा प्रबंधन केन्द्रों के लिए उपकरणों की खरीद का निपटारा न कर सकने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(लाख रूपये में)

विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "4403"

पशु पालन पर पूंजी परिव्यय

मू.	270.00)			
पु.	130.00)	400.00	80.51	–319.49

मुख्यशीर्ष "4515"

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजी परिव्यय

मू.	19000.00)			
पू.	2500.00)			
पु.	–1600.00)	19900.00	13502.43	–6397.57

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

मुख्यशीर्ष "4711"

बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	8922.00)			
पु.	–1277.00)	7645.00	6844.07	–800.93

मण्डल आयुक्त कार्यालय

मुख्यशीर्ष "4059"

लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय				
मू.	1700.00)			
पू.	1.00)			
पु.	109.00)	1810.00	455.30	–1354.70

मुख्यशीर्ष "4515"

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजी परिव्यय				
मू.	1163.00)			
पु.	–50.00)	1113.00	668.02	–444.98

1.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4403"** – पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय – पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य – अस्पतालों और औषधालयों में पशु चिकित्सा सेवायें व संक्रामक रोगों की रोकथाम – 189.49 लाख रूपये की बचत (270.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निविदाओं का निपटारा न होने के कारण हुई ।

2. **मुख्यशीर्ष "4515"** – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमो पर पूंजीगत परिव्यय – (क) ग्रामीण विकास – ग्रामीण विकास बोर्ड को ग्रामीण गांवों के समेकित विकास के अन्र्तगत (आईडीआरयूवी) – 5246.15 लाख रूपये की बचत (16318.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 738.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निधियों के समर्पित करने के कारण हुई।

   (ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – ग्रामीण विकास बोर्ड को ग्रामीण गांवों के समेकित विकास के अन्र्तगत (आईडीआरयूवी) (एस.सी.एस.पी) – 1151.42 लाख रूपये की बचत (3582.90 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 162.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लोक सभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण दक्षिण एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम को राशि जारी न करने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "4711"** – बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय – **(अ)** बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – छठ घाटों का विकास – 866.55 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं ठेकेदार द्वारा कम दर उद्घृत करने के कारण हुई।

   (ब) जलनिकासी – अन्य व्यय – (i) मुख्य जलनिकासी कार्य – 536.04 लाख रूपये की बचत (6120.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः ठेकेदार द्वारा कम दर उद्घृत करने के कारण हुई।

   (ii) मुख्य जल निकासी – 673.34 लाख रूपये की बचत (800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं ठेकेदार से चालित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "4059"** – सार्वजनिक कार्य हेतु पूंजी परिव्यय – कार्यालय भवन – निर्माण – मण्डल आयुक्त का कार्यालय – 1271.34 लाख रूपये की बचत (1700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं कुछ योजनाओं/कार्यों को जिला स्तर पर स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "4515"** – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय – पंचायती राज – पंचायत इकाइयों व इसके कार्यकलापों का आधुनिकीकरण – 494.98 लाख रूपये की बचत (1163.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्यों की धीमी गति एवं ग्रामीण विकास विभाग को बारात घर आदि के निर्माण, मरम्मत व रखरखाव से संबंधित कार्यो को स्थानांतरित करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 50.30 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत थी जोकि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

अनुदान संख्या 11 – शहरी विकास तथा लोक निर्माण

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व

प्रभारित –				
मूल	6,00)			
पूरक	1,00)	7,00	20	–6,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं
स्वीकृत –				
मूल	10725,92,00)			
पूरक	188,57,00)	10914,49,00	9850,80,03	–1063,68,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–10,05,00

पूंजीगत

स्वीकृत –				
मूल	5721,58,00)			
पूरक	975,34,00)	6696,92,00	4558,48,74	–2138,43,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–1526,95,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 6.80 लाख रूपये की कुल बचत हुई (7.00 लाख रूपये के स्वीकृत विनियोजन एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 97.14 प्रतिशत थी ।

3.00 लाख रूपये की राशि तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 106368.97 लाख रूपये की कुल बचत हुई (1091449.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 18857.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 9.74 प्रतिशत थी ।

55316.00 लाख रूपये की राशि 19 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :–

1. **मुख्यशीर्ष "2215"** – जल आपूर्ति एवं स्वच्छता – **(अ)** जल आपूर्ति – शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम – एन.डी.एम.सी के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी – 250.00 लाख रूपये – एन.डी.एम.सी. द्वारा सब्सिडी के लिए निवेदन न करने के कारण ।

(ब) मलव्ययन एवं स्वच्छता – स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को सहायता – (i) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सीएसएस) – 6000.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने एवं भारत सरकार द्वारा निधि जारी न होने के कारण।

(ii) यमुना कायाकल्प के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 300.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2216"** – आवास – सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता – (i) पी.एम.ए. वाई. के तहत सभी के लिए घर के लिए डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान (सीएसएस) – 180.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने के कारण।

(ii) पी.एम.ए.वाई. के तहत सभी के लिए घर के लिए डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान (राज्य अंश) – 1000.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने एवं केन्द्रीय अंश जारी न होने की वजह से राज्य अंश के उपयोग न किये जा सकने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "2217"** – शहरी विकास – **(अ)** स्लम बस्ती सुधार – स्थानीय निकायों, निगम, नगर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता – (i) स्मार्ट सिटी के लिए एन.डी.एम. सी को सहायता अनुदान (सीएसएस) – 6500.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने एवं मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण राशि जारी न कर सकने के कारण हुई।

(ii) अमृत योजना के लिए दि.न.नि./न.दि.न.पा.को सहायता अनुदान (सी.एस.एस) – 20000.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने एवं विभिन्न कारणों की वजह से भारत सरकार द्वारा निधि जारी न करने के कारण हुई ।

(ब) अन्य शहरी विकास योजनाएं – (क) स्थानीय निकायों, निगम, नगर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता – अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान – 10000.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने एवं आदर्श आचार संहिता के लागू होने की वजह से अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण ।

(ख) अन्य व्यय – बाजार विकास कोष – 10000.00 लाख रूपये – कम अनुदान जारी होने के कारण ।

(स) सामान्य – स्थानीय निकायों, निगम, नगर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता – (i) स्वच्छ भारत मिशन (सी.एस.एस) – क्षमता निर्माण एंव ए. व ओई के लिए शहरी विकास विभाग को सहायता अनुदान (सी.एस.एस) – 300.00 लाख रूपये – कम बिलों एवं अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण।

(ii) स्वच्छ भारत मिशन (सी.एस.एस) – जन जागरूकता व आई.ई.सी. कार्यकलापों के लिए शहरी विकास विभाग को सहायता अनुदान (सी.एस.एस) – 500.00 लाख रूपये – कम बिलों एवं अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण।

4. **मुख्यशीर्ष "2251"** – सचिवालय सामाजिक सेवाएं – सचिवालय – भूमि अधिकरण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना (एलएआरआर) प्राधिकरण – 150.00 लाख रूपये – प्रशासनिक कारणों की वजह से योजना के अंतिम रूप से स्वीकृत न हो सकने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

शहरी विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "2052"				
सचिवालय सामान्य सेवाएं				
मू.	973.62)			
पु.	15.46)	989.08	834.34	–154.74
मुख्यशीर्ष "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
मू.	716.20)			
पु.	–11.70)	704.50	224.23	–480.27
मुख्यशीर्ष "2202"				
सामान्य शिक्षा				
मू.	160001.61)			
पू.	12.00)			
पु.	–40012.43)	120001.18	120001.18	..
मुख्यशीर्ष "2215"				
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता				
मू.	146300.00)			
पू.	3.00)			
पु.	–7701.00)	138602.00	134950.00	–3652.00
मुख्यशीर्ष "2216"				
आवास				
मू.	4200.00)			
पू.	17824.00)			
पु.	39866.00)	61890.00	38876.00	–23014.00
मुख्यशीर्ष "2217"				
शहरी विकास				
मू.	278210.62)			
पू.	9.00)			
पु.	–85269.77)	192949.85	129601.51	–63348.34
मुख्यशीर्ष "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
मू.	1799.28)			
पु.	–144.75)	1654.53	1250.16	–404.37
मुख्यशीर्ष "3604"				
स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा कार्य				
मू.	120333.67)			
पू.	7.00)			
पु.	116157.19)	236497.86	236497.86	..

लोक निर्माण विभाग

मुख्यशीर्ष "2059"				
लोक निर्माण				
मू.	84625.00)			
पु.	–11129.00)	73496.00	66269.39	–7226.61
मुख्यशीर्ष "2202"				
सामान्य शिक्षा				
मू.	2500.00)			
पू.	1000.00)	3500.00	2462.96	–1037.04
मुख्यशीर्ष "2210"				
चिकित्सा एव ं जन स्वास्थ्य				
मू.	12660.00)			
पु.	440.00)	13100.00	11724.56	–1375.44
मुख्यशीर्ष "2216"				
आवास				
मू.	12250.00)			
पु.	–1775.00)	10475.00	9225.37	–1249.63
मुख्यशीर्ष "3054"				
सडकें एवं पुल				
मू.	70500.00)			
पु.	–10045.00)	60455.00	57931.19	–2523.81
भूमि एवं भवन विभाग				
मुख्यशीर्ष "2235"				
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				
मू.	270.65)			
पु.	–82.00)	188.65	111.27	–77.38
मुख्यशीर्ष "2251"				
सचिवालय सामाजिक सेवाएं				
मू.	1509.35)			
पु.	1.00)	1510.35	1044.25	–466.10
ऊर्जा विभाग				
मुख्यशीर्ष "2801"				
ऊर्जा				
मू.	174582.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–944.00)	173639.00	173532.84	–106.16
मुख्यशीर्ष "2810"				
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत				
मू.	600.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–401.00)	200.00	142.77	–57.23

1.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :—

1. **मुख्यशीर्ष "2052"** — सचिवालय सामान्य सेवाएं — सचिवालय — शहरी विकास विभाग — 139.28 लाख रूपये की बचत (973.62 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2070"** —अन्य प्रशासनिक सेवाएं — अन्य व्यय — (i) दिल्ली नगर निगम को जुर्मानो, जब्ती की प्रतिपूर्ति — 353.05 लाख रूपये की बचत (400.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली नगर निगम द्वारा जमा किये गए प्रस्तावों के अनुरूप में न होने के कारण प्रस्तावों को उन्हें वापिस करने के कारण बचत हुई।

(ii) स्थानीय निकाय निदेशालय — 138.92 लाख रूपये की बचत (316.20 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं पेशेवरों की फीस से सम्बंधित प्रस्तावों पर स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा — **(अ)** प्राथमिक शिक्षा — प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता — (i) दिल्ली नगर निगम — पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान — 8006.63 लाख रूपये की बचत (32020.54 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली नगर निगम — दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान — 12086.18 लाख रूपये की बचत (48338.64 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली नगर निगम — उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान — 15823.53 लाख रूपये की बचत (63291.12 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) नई दिल्ली नगर परिषद — सहायता अनुदान — 1053.53 लाख रूपये की बचत (4208.10 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(v) दिल्ली केन्ट बोर्ड — सहायता अनुदान — 144.21 लाख रूपये की बचत (573.81 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ब) माध्यमिक शिक्षा — माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता — (i) माध्यमिक शिक्षा के लिए नई दिल्ली नगर निगम — सहायता अनुदान — 1311.29 लाख रूपये की बचत (5239.16 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को स्कूलों के भवनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान — 698.37 लाख रूपये की बचत (2793.51 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्कूलों के भवनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान – 534.28 लाख रूपये की बचत (2134.49 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को स्कूलों के भवनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान – 354.31 लाख रूपये की बचत (1414.24 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2215"** – जल आपूर्ति एवं स्वच्छता – **(अ)** जल आपूर्ति – स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को सहायता – (i) दिल्ली जल बोर्ड को कच्चे पानी के लिये अनुदान – 5625.00 लाख रूपये की बचत (22500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) जल एवं स्वच्छता में तत्काल और आकस्मिक कार्य के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 100.00 लाख रूपये की बचत (7000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) जल गुणवत्ता नियंत्रण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 125.00 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ब) मलव्ययन और स्वच्छता – हवा और पानी के प्रदूषण की रोकथाम – पानी के उपचार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 250.00 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2216"** – आवास – सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता – रात्रि विश्राम स्थलों के लिए डी यू एस आई बी को अनुदान – 230.00 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावाधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2217"** – शहरी विकास – **(अ)** स्लम बस्ती सुधार – (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो इत्यादि को सहायता – (i) पुनर्वास कालोनियों के रख–रखाव के लिए दि.न.नि. को अनुदान – उत्तरी दिल्ली नगर निगम – 1101.50 लाख रूपये की बचत (4406.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) पुनर्वास कालोनियों के रख–रखाव के लिए दि.न.नि. को अनुदान – दक्षिण दिल्ली नगर निगम – 841.26 लाख रूपये की बचत (3365.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) पुनर्वास कालोनियों के रख–रखाव के लिए दि.न.नि. को अनुदान – पूर्वी दिल्ली नगर निगम – 557.24 लाख रूपये की बचत (2229.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ख) अनूसुचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – पुनर्स्थापित झोपड़ी कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं हेतु दि.न.नि. को अनुदान (एस.सी.एस.पी) – कटरा वासियो के पुनर्स्थापन एवं ढाचा सुधार के लिए डी यू एस आई बी को अनुदान (एस.सी.एस.पी) – 150.00 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ब) अन्य शहरी विशेष विकास योजना – (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो इत्यादि को सहायता – स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता – 93908.35 लाख रूपये की बचत (100000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं आदर्श आचार संहिता के लागू होने की वजह से अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – अनाधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं के लिए प्रावधान – 497.62 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(स) सामान्य – (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो इत्यादि को सहायता – (i) शहरी सेवाओं पर आधारित कार्यक्रम – 133.67 लाख रूपये की बचत (315.76 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, कम दावों/बिलों एवं आदर्श आचार संहिता के लागू होने की वजह से अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) पूंजीगत संपत्तियो के रख–रखाव के लिए सहायता अनुदान – पूंजीगत संपत्तियो के रख– रखाव के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 603.33 लाख रूपये की बचत (2410.29 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) पूंजीगत संपत्तियो के रख–रखाव के लिए सहायता अनुदान – पूंजीगत संपत्तियो के रख–रखाव के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 603.33 लाख रूपये की बचत (2410.29 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) पूंजीगत संपत्तियो के रख–रखाव के लिए सहायता अनुदान – पूंजीगत संपत्तियो के रख–रखाव के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 391.41 लाख रूपये की बचत (1562.66 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(v) स्वच्छ भारत मिशन (सीएसएस) – 13888.00 लाख रूपये की बचत (19200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(vi) स्वच्छ भारत मिशन (राज्य अंश) – 2229.00 लाख रूपये की बचत (4000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए डीयूएसआईबी को अनुदान (एससीएसपी) – 450.00 लाख रूपये की बचत (1200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "3475"** – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – शहरी उन्मुख रोजगार कार्यक्रम – (i) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना – 174.12 लाख रूपये की बचत (299.28 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, कम दावों/बिलों एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ii) दीन दयाल उपाध्याय अन्तोद्य योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (सी.एस.एस) – 375.00 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम निधि जारी होने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "3604"** – स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा कार्य – अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं कार्य – (i) दिल्ली नगर निगम को कर आवंटन – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम – 12965.53 लाख रूपये की बचत (51859.11 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम कार्य होने के कारण हुई।

(ii) नई दिल्ली नगर निगम को कर आवंटन – 980.52 लाख रूपये की बचत (3919.05 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम कार्य होने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली छावनी परिषद को कर आवंटन – 573.82 लाख रूपये की बचत (2292.26 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम कार्य होने के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "2059"** – लोक निर्माण – सामान्य – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – स्थापना प्रभार – 7350.89 लाख रूपये की बचत (29665.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं दिल्ली नगर निगम के बिलों व सम्पति करों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) निर्माण – 1061.83 लाख रूपये की बचत (1300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्यों व अनुशस्ति के प्राप्त न होने एवं निविदाओं के अनुमानित लागत की तुलना में कम लागत पर होने के कारण हुई।

(ग) रखरखाव एवं मरम्मत – (i) रखरखाव एवं मरम्मत – 9159.39 लाख रूपये की बचत (47000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्यों, निविदाओं के अनुमानित लागत की तुलना में कम लागत पर होने एवं कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ii) दिल्ली सरकार सचिवालय – 729.75 लाख रूपये की बचत (2100.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्यों एवं ज्यादातर निविदाओं के कम लागत पर होने के कारण हुई।

10. **मुख्यशीर्ष "2202"–** सामान्य शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा – भवनों का रखरखाव – सरकारी स्कूलों में नागरिक एवं विद्युतीय कार्यो के लिए व्यापक रखरखाव – 1037.04 लाख रूपये की बचत (3500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं निविदाओं के कम लागत पर होने के कारण हुई।

11. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवायें–ऐलोपैथी – (क) अस्पताल एवं औषधालय – भवन – (i) जी.बी.पंत अस्पताल – 239.95 लाख रूपये की बचत (600.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कुछ कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं व्यय अनुशस्ति बहुत देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) लोक नायक अस्पताल – 440.55 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्यो एवं कार्य करने के उपरांत भी संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

(iii) गुरूतेग बहादुर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल – 462.93 लाख रूपये की बचत (1950.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्यों एवं एल.ओ.सी. की उपलब्धता न होने के कारण बजट का उपयोग न किये जा सकने के कारण हुई।

(iv) भगवान महावीर अस्पताल – 128.86 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्य होने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – संजय गांधी स्मारक अस्पताल, मंगोलपुरी (एससीएसपी) – 267.59 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्य होने के कारण हुई।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान – आयुर्वेद – भवन – आयुर्वेद व युनानी तिब्बिया कॉलेज – 185.36 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्यो एवं कार्य करने के उपरांत भी संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

12. **मुख्यशीर्ष "2216"**– आवास – सरकारी निवास भवन – सामान्य पूल आवास – (i) रखरखाव एवं मरम्मत – 1455.16 लाख रूपये की बचत (8650.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्यो एवं निविदाओं के कम लागत पर होने के कारण हुई।

(ii) निर्माण – 614.57 लाख रूपये की बचत (700.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्यों, कार्य की धीमी गति एवं स्वीकृति प्राप्त न होने एवं निविदाओं के कम लागत पर होने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली सरकार कर्मचारी के आवास – 954.90 लाख रूपये की बचत (2900.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्यों, अनुशस्ति प्रतीक्षित होने एवं निविदाओं के कम लागत पर होने के कारण हुई।

13. **मुख्यशीर्ष "3054"** – सड़कें एवं पुल – जिला एवं अन्य सड़कें – (क) मरम्मत एवं रखरखाव – लोक निर्माण विभाग की सडकों का व्यापक रखरखाव – 3099.30 लाख रूपये की बचत (7500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्यों एवं अधिकतर निविदाओं के अनुमानित लागत की तुलना में कम लागत पर होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – जिला सड़कें – (i) रखरखाव – 5973.14 लाख रूपये की बचत (40000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम लघु कार्यों एवं अधिकतर निविदाओं के अनुमानित लागत की तुलना में कम लागत पर होने एवं गैर योजनागत व्यय में कटौती करने के कारण हुई।

(ii) कार्य प्रभार स्थापना – 3412.98 लाख रूपये की बचत (12000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने एवं आवंटन बिना किसी आकलन के एकमुश्त आधार पर करने के कारण हुई।

14. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – पुनर्वास – पश्चिम पाकिस्तान से पुनर्स्थापित व्यक्ति – दिल्ली स्थित शहरी एवं ग्रामीण शरणार्थियों की सम्पति और भूमि का प्रबंध – 159.38 लाख रूपये की बचत (270.65 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों एवं कम बिलों के कारण हुई।

15. **मुख्यशीर्ष "2251"** – सचिवालय सामाजिक सेवाएं – सचिवालय – भूमि एवं भवन विभाग – 315.10 लाख रूपये की बचत (1359.35 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

16. **मुख्यशीर्ष "2801"** – ऊर्जा – संचरण एवं वितरण – अन्य व्यय – (i) डीस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी – 2071.00 लाख रूपये की बचत (172000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों के कम होने एवं डीस्कॉम द्वारा कम सब्सिडी की मांग करने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को सहायता अनुदान (डीईआरसी) – 968.55 लाख लाख रूपये की बचत (2501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

17. **मुख्यशीर्ष "2810"** – ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत – सोलर – अन्य व्यय – सौर उर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना – 458.28 लाख लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सब्सिडी जारी होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 714.58 लाख रूपये की बचत 10 उपशीर्षो के अन्तर्गत थी जोकि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2215"** – जल आपूर्ति एवं स्वच्छता – जल आपूर्ति – स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि को सहायता – आई.टी./क्षमता निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 1299.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1701.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2216"** – आवास – सामान्य – (क) सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता – कमजोर वर्ग हेतु मकान बनाने के लिए दि.रा.औ.वि.नि. को अनुदान – 13401.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (18623.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 17823.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ख) अनूसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – कमजोर वर्ग के लिए मकान बनाने हेतु दि.रा.औ.वि.नि. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम) (एस.सी.एस.पी) – 4881.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (201.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "2217"** – शहरी विकास – **(अ)** स्लम बस्ती सुधार –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – शहरी भीड़ वालें क्षेत्र में पर्यावरण सुधार के लिए डी यू एस आई बी को अनुदान (एस.सी.एस.पी) – 3799.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (2201.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपयें के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ब) अन्य शहरी विकास योजनाएं – (क) स्थानीय निकायों, निगमों, नगर विकास प्राधिकरण, शहर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता – शाहजनाबाद पुनर्विकास निगम को सहायता अनुदान – 3499.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपयें के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादी ढाँचों का सुदृढ़ीकरण एंव संवर्धन (एस.सी.एस.पी) – 565.80 लाख रूपये का अधिक व्यय (5501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपयें के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ग) अन्य व्यय – प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादी ढाँचों का सुदृढ़ीकरण एंव संवर्धन – 6327.27 लाख रूपये का अधिक व्यय (22501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपयें के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

4. **मुख्यशीर्ष "3604"** – स्थानीय निकायो तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा कार्य – अन्य विविध प्रतिपूर्ति तथा कार्य – (i) दि.न.नि. को कर आबंटन – उत्तरी दिल्ली नगर निगम – 49046.91 लाख रूपये का अधिक व्यय (40424.85 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक कार्य होने के कारण हुआ।

(ii) दि.न.नि. को कर आबंटन – पूर्वी दिल्ली नगर निगम – 81630.15 लाख रूपये का अधिक व्यय (21845.40 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक कार्य होने के कारण हुआ।

5. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य सेवायें–एलोपैथी – अस्पताल और डिसपेंसरी – भवन – राव तुला राम अस्पताल – 163.93 लाख रूपये का अधिक व्यय (350.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक लघु कार्यों के होने के कारण हुआ।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – ऐलोपैथी – भवन – मौलाना आजाद मेडिकल कालेज भवन – 369.23 लाख रूपये का अधिक व्यय (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक लघु कार्यों के होने के कारण हुआ।

6. **मुख्यशीर्ष "2801"** – ऊर्जा – प्रेषण और वितरण – अन्य व्यय – एमनेस्टी योजना के अर्न्तगत बिजली उपभोक्ताओं को एक बार राहत – 2043.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः बिजली उपभोगताओं को अधिक राहत जारी होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त 711.42 लाख रूपये का अधिक व्यय नौ उपशीर्षो के अन्तर्गत था जोकि 50.00 लाख रूपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रूपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 213843.26 लाख रूपये की (669692.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 97534.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 31.93 प्रतिशत थी ।

88046.00 लाख रूपये की राशि 37 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित शामिल है :–

1. **मुख्यशीर्ष "4217"**– शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय – अन्य शहरी विकास कार्यक्रम – भूमि – शहरी गाँवों का विकास – 300.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति एवं योजना के जारी न रहने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "6215"**– जल आपूर्ति व स्वच्छता के लिए ऋण – जलापूर्ति – स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं इत्यादि को ऋण – दिल्ली जल बोर्ड चन्द्रावल जल संयंत्र के लिये ऋण – 1000.00 लाख रूपये – ऋण जारी न होने के कारण ।

3. **मुख्यशीर्ष "6217"**– शहरी विकास के लिए ऋण – अन्य शहरी विकास योजनाएं – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – स्वस्थानी पुनर्वास योजना के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को ऋण (एस.सी.एस.पी.) – 500.00 लाख रूपये – ऋण जारी न होने के कारण ।

4. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेल–कूद, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय – सामान्य शिक्षा – सामान्य – सरकारी स्कूलों सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना – 17500.00 लाख रूपये – कार्यों की धीमी गति होने के कारण ।

5. **मुख्यशीर्ष "4235"**– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय – समाज कल्याण – (क) विकलांगो का कल्याण – (i) सेवा कुटीर कॉम्पलैक्श, किंग्सवे कैम्प, फेस–II मे विद्यालय जाने वाले दृष्टिहीन छात्रों (लडको) के लिए छात्रावास का निर्माण – 100.00 लाख रूपये – योजना के लागू न होने के कारण ।

   (ii) नरेला मे मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए गृह का निर्माण – 1200.00 लाख रूपये – योजना के लागू न होने के कारण ।

   (ख) महिला कल्याण – (i) भवन – 100.00 लाख रूपये – अनुशस्ति के प्राप्त न होने के कारण।

   (ii) कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण – 350.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति एवं दस्तावेजों के अभाव में स्थानीय निकाय द्वारा नक्शे पर स्वीकृति न देने के कारण।

6. **मुख्यशीर्ष "5054"**– सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय – जिला एवं अन्य सड़कें – (क) पुल – (i) मजनूं का टीला और मैटकॉफ हॉउस बाहरी रिंग रोड पर फ्लाईओवर – 100.00 लाख रूपये – प्रशासनिक व व्यय अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण योजना को लागू नहीं कर सकने के कारण ।

   (ii) आधा फ्लाईओवर का निर्माण – 100.00 लाख रूपये – ऐसे कार्य का आवंटन न होने के कारण।

(iii) नांगलोई में राष्ट्रीय राजमार्ग–10 पर नजफगढ़ नाले पर पुलों का चौड़ीकरण – 1000.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(ख) सड़क कार्य – (i) आई.एस.बी.टी. के लिए शालीमार बाईपास से रिंग रोड़ का सुधार – 100.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(ii) ढांसा रेगुलेटर से द्वारका मोड़ तक नाला संख्या 8 (नजफगढ़ नाला) के साथ चार लेन का निर्माण – 100.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(iii) काकरोला मोड़ से वज़ीराबाद के बीच नजफगढ़ नाले के ऊपर ऐलीवेटेड सड़क का निर्माण – 100.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(iv) बवाना से इंद्रलोक तक हरियाणा नहर के साथ नया संपर्क – 500.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(v) वज़ीराबाद के डी.एन.डी. फ्लाईओवर तक रिंग रोड के साथ नया बाइपास रोड – 100.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(vi) सबवे का निर्माण – 1500.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(vii) पी.डब्ल्यू.डी. रोड का भूदृश्य निर्माण – 20000.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति होने एवं 31.3.2019 तक कार्य की प्रशासनिक व व्यय अनुशस्ति न मिलने के कारण।

(ग) अन्य व्यय – (i) केन्द्रीय सड़क निधि योजना – 1000.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(ii) एलईडी स्क्रीन का प्रावधान – 2000.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(iii) वाई.फाई. दिल्ली – 10000.00 लाख रूपये – कार्य की धीमी गति होने एवं अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण।

7. **मुख्यशीर्ष "4810"**– ऊर्जा के गैर परंपरागत स्त्रोतों पर पूंजी परिव्यय – सौर – राज्य ऊर्जा संरक्षण – 200.00 लाख रूपये – योजना के लागू न होने के कारण।

8. **मुख्यशीर्ष "6801"**– विद्युत परियोजना के लिए ऋण – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण – आई.पी.जी.सी.एल.व पी.पी.सी.एल.को ऋण – 30000.00 लाख रूपये – आई.पी.जी.सी.एल.व पी.पी.सी.एल.को ऋण जारी न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

शहरी विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "4217"

शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय

मू.	84700.00)			
पू.	1.00)			
पु.	–10501.00)	74200.00	68578.28	–5621.72

मुख्यशीर्ष "6215"
जलापूर्ति एवं सफाई के लिए ऋण

मू.	131450.00)			
पू.	10.00)			
पु.	7688.00)	139148.00	139147.50	−0.50

मुख्यशीर्ष "6217"
शहरी विकास के लिए ऋण

मू.	5000.00)			
पू.	4.00)			
पु.	17996.00)	23000.00	23000.00	..

लोक निर्माण विभाग

मुख्यशीर्ष "4059"
लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय

मू.	10405.00)			
पू.	4.00)			
पु.	4191.00)	14600.00	11242.99	−3357.01

मुख्यशीर्ष "4202"
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति

मू.	37930.00)			
पू.	97500.00)			
पु.	−69920.00)	65510.00	48226.01	−17283.99

मुख्यशीर्ष "4210"
चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय

मू.	70634.00)			
पु.	−49039.00)	21595.00	15552.36	−6042.64

मुख्यशीर्ष "4225"
अनु.जा. व अनु. जनजाति और पिछड़े
वर्गों के कल्याण हेतु पूँजी परिव्यय

मू.	550.00)			
पु.	−50.00)	500.00	59.87	−440.13

मुख्यशीर्ष "4235"
सामाजिक सुरक्षा और
कल्याण पर पूंजी परिव्यय

मू.	3820.00)			
पु.	−1020.00)	2800.00	1582.38	−1217.62

मुख्यशीर्ष "4250"
अन्य सामाजिक
सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	11030.00)			
पु.	−1470.00)	9560.00	1296.81	−8263.19

मुख्यशीर्ष "5054" सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय				
मू.	159100.00)			
पू.	14.00)			
पु.	−49514.00)	109600.00	92384.95	−17215.05
मुख्यशीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूॅंजी परिव्यय				
मू.	150.00)			
पु.	80.00)	230.00	6.81	−223.19
ऊर्जा विभाग				
मुख्यशीर्ष "4801" ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय				
मू.	5099.00)			
पु.	−3801.00)	1298.00	795.92	−502.08
मुख्यशीर्ष "4810" ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर पूॅंजी परिव्यय				
मू.	1200.00)			
पु.	−399.00)	801.00	522.31	−278.69
मुख्यशीर्ष "6801" ऊर्जा परियोजना के लिए ऋण				
मू.	37500.00)			
पू.	1.00)			
पु.	2499.00)	40000.00	40000.00	..

1.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "4217"**– शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय – अन्य शहरी विकास योजनाएं – भूमि – अनाधिकृत कालोनियों का विकास – 15901.86 लाख रूपये की बचत (79500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्यों की धीमी गति होने एवं अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "6215"**– जलापूर्ति एवं सफाई के लिए ऋण – **(अ)** जलापूर्ति – स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं इत्यादि को ऋण – (i) दिल्ली जल बोर्ड वजीरावाद जल संयंत्र के लिये ऋण – 3750.00 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः ऋण जारी होने के कारण हुई ।

   (ii) मौजूदा जल कार्यों के सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 2500.00 लाख रूपये की बचत (15000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई ।

(iii) वर्तमान संयंत्रों और पंपिंग स्टेशनों के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 1875.00 लाख रूपये की बचत (7500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई ।

(ब) मलव्ययन एवं स्वच्छता – स्थानीय निकायों, निगमपालिकाओं आदि को ऋण – (i) पुनर्वास कॉलोनियों में जल–मल निकासी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 312.50 लाख रूपये की बचत (1250.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई ।

(ii) एस.टी.पी./एस.पी.एस. के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 137.50 लाख रूपये की बचत (550.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी किये जाने के कारण हुई ।

3 **मुख्यशीर्ष "4059"**– लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय – कार्यालय भवन – निर्माण – (i) उपायुक्त कार्यालय – 1248.10 लाख रूपये की बचत (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली फार्मास्युटिकल विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान – 234.80 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं वित्तीय वर्ष में अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

4 **मुख्यशीर्ष "4202"**– शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – **(अ)** सामान्य शिक्षा – (क) माध्यमिक शिक्षा– (i) माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण – 3680.42 लाख रूपये की बचत (26500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 20000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ii) मौजूदा स्कूल बिल्डिंग में अतिरिक्त कक्षा के लिए कमरों का निर्माण – 46041.58 लाख रूपये की बचत (56500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 50000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, अनुशस्ति के प्रतीक्षित होने एवं कम लागत पर निविदा के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा – दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण – 949.53 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं कम लागत पर निविदा के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण (एससीएसपी) – 3510.86 लाख रूपये की बचत (7000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने एवं अनुशस्ति के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) मौजूदा स्कूल बिल्डिंग में अतिरिक्त कक्षा के लिए कमरों का निर्माण (एस.सी.एस.पी) – 5460.12 लाख रूपये की बचत (7000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5000.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने एवं अनुशस्ति के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) अन्य व्यय – अतिरिक्त सुविधायें/शिक्षा विभाग के वर्तमान भवनों का पुनरूद्वार – 3036.06 लाख रूपये की बचत (5500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ब) तकनीकी शिक्षा – (क) पॉलिटेक्निक – भवन – 3868.03 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने एवं कुछ लेआउट योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जा सकने के कारण हुई।

(ख) इंजीनियरिंग/तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय एवं संस्थान – (i) जी.बी.पंत इंजीनियरिंग कॉलेज – 577.57 लाख रूपये की बचत (800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जाफरपुर – 271.05 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(iii) गीता कॉलोनी में इंजीनियरिंग कॉलेज – 190.05 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(स) खेल, युवा सेवाएं, खेल स्टेडियम – अन्य व्यय – खेल के मैदान, खेल परिसर, तरणताल आदि का विकास – 2159.73 लाख रूपये की बचत (5000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिकांश निविदाओं के कम लागत पर होने एवं आदर्श आचार संहिता की वजह से कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(द) कला एवं संस्कृति – अभिलेख – अभिलेख विभाग – 102.59 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुशस्ति के प्राप्त न होने के कारण हुई।

5 **मुख्यशीर्ष "4210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय – **(अ)** शहरी स्वास्थ्य योजनाएं – अस्पताल एवं औषधालय – (i) भवन – अस्पतालों के लिए भवनों का निर्माण – 13366.63 लाख रूपये की बचत (26169.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ii) मौजूदा अस्पतालों का पुर्नगठन – 18459.64 लाख रूपये की बचत (19000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं स्थानीय प्राधिकारियों से स्वीकृति न मिलने की वजह से निविदा प्रक्रिया में देरी होने के कारण हुई।

(iii) औषधालयों के मौजूदा भवनों का उन्नयन – 9302.68 लाख रूपये की बचत (10300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं स्थानीय प्राधिकारियों से स्वीकृति न मिलने की वजह से निविदा प्रक्रिया में देरी होने के कारण हुई।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – होम्योपैथी – होम्योपैथी की देखभाल सेवाओं का विकास – 132.75 लाख रूपये की बचत (165.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने एवं ग्राहक द्वारा मध्यस्थता संबंधी मामलों की वजह से बिलों के प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

(स) सार्वजनिक स्वास्थ्य – रोगो का रोकथाम एवम नियंत्रण – लोक स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण – 13819.94 लाख रूपये की बचत (15000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने एवं जगहों की उपलब्धता न होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "4225"**– अनु.जा. के अनु. जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु पूँजी परिव्यय – **(अ)** अनूसूचित जाति का कल्याण – अनूसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – अनु.जा./अनु.जनजाति और अनाथो के लिए के.आई.एस.एस. सोसाइटी के सहयोग से गांव ईसापुर मे आवासीय विद्यालय का निर्माण (एस.सी.एस.पी) – 163.56 लाख रूपये की बचत (200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ब) सामान्य – अन्य व्यय – अनु.जा./अनु.जनजाति और अनाथो के लिए के.आई.एस.एस. सोसाइटी के सहयोग से गांव ईसापुर मे आवासीय विद्यालय का निर्माण – 276.57 लाख रूपये की बचत (300.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "4235"**– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय – समाज कल्याण – (क) बाल कल्याण – किशोर न्याय अधिनियम, 2000 – 274.06 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने एवं अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) वृद्धों, अपंगों एवं निस्सहायों का कल्याण – वृद्वावस्था गृह – 170.33 लाख रूपये की बचत (800.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुशस्ति प्राप्त न होने एवं निविदाओं के कम लागत पर होने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "4250"**– अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय – रोजगार – (i) आई.टी.आई. का निर्माण – 1777.73 लाख रूपये की बचत (2960.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निविदा के कम लागत पर होने एवं आदर्श आचार संहिता की वजह से कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ii) विश्व स्तरीय कौशल केन्द्र का निर्माण – 7906.16 लाख रूपये की बचत (8000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने एवं अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "5054"**– सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय – जिला एवं अन्य सड़कें – (क) पुल – (i) करावल नगर, भजनपुरा और गगन सिनेमा मंगल के बीच फ्लाईओवर/अंडरपास का निर्माण – 3004.65 लाख रूपये की बचत (3500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं डी.एम.आर.सी. द्वारा एक फलाईओवर (जिसका निर्माण डी.एम.आर.सी. द्वारा किया जाना था।) के लिए प्राक्कलन, प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय अनुशस्ति न जमा कराने के कारण हुई।

(ii) पूर्व–पश्चिम कॉरिडोर – 489.12 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(iii) उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर – 489.74 लाख रूपये की बचत (500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(iv) बारापुला नाला, फेस 3 के ऐलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण – 1610.31 लाख रूपये की बचत (17500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं भूमि व भवन विभाग द्वारा भूमि का अभिग्रहण न करने के कारण हुई।

(v) गोपालपुर रेड लाइट, ओ.आर.आर. – जगतपुर ब्रिज पर आधे अंडरपास का निर्माण – 685.00 लाख रूपये की बचत (999.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निधि का आवंटन मांग से अधिक होने के कारण हुई।

(vi) बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पूरी पंक्ति को ढकने के लिए पुल का चौड़ीकरण – 806.97 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(vii) रामपुरा, त्रिनगर/इंदरलोक और करमपुरा, दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग–10 पर पुलों का चौड़ीकरण – 1800.00 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(viii) पुलों और फ्लाईओवरों की मरम्मत एवं पुनर्वास – 1095.65 लाख रूपये की बचत (2500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय अनुशस्ति देर से मिलने के कारण हुई।

(ख) सड़क कार्य – पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग) के सुदृढ़ीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण – 2002.38 लाख रूपये की बचत (3200.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं निविदाओं के कम लागत पर होने के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय – (i) सड़कों और पुलों का निर्माण – 7852.42 लाख रूपये की बचत (17360.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं वित्त वर्ष 2018–19 में कुछ कार्यों के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(ii) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन – 362.09 लाख रूपये की बचत (2501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं निविदाओं के कम लागत पर होने के कारण हुई।

(iii) लो.नि.वि.की सडकों की स्ट्रीट स्केपिंग – 1161.96 लाख रूपये की बचत (1901.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं अनुशस्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iv) सी.सी.टी.वी. कैमरो की स्थापना – 23810.92 लाख रूपये की बचत (25000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं सम्प्रत्यय का प्रमाण मिलने के बाद कार्य के फरवरी 2019 में शुरू होने के कारण हुई।

10. **मुख्यशीर्ष "5475"**– अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – अन्य व्यय – नाप व तोल विभाग के लिए भवन का निर्माण – 143.19 लाख रूपये की बचत (150.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निविदाओं को दो बार आमंत्रित किया गया परंतु सबसे कम लागत वाले निवेदक द्वारा अग्रिम राशि लेने के कारण हुई।

11. **मुख्यशीर्ष "4801"**– बिजली परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय – प्रेषण एवं वितरण – अन्य व्यय – (i) भूमि की खरीद – 1543.32 लाख रूपये की बचत (2000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम भूमि का अधिग्रहण, भूमि को चरणबद्ध तरीके से लेने एवं डी.आई.एस.सी.ओ.एम. व भू–स्वामित्व वाली एजेंसियों से जरूरी/विस्तृत जानकारी प्राप्त न होने के कारण प्रकरणों के लंबित रहने के कारण हुई।

(ii) एच.टी./एल.टी. बिजली वितरण तारों का स्थानांतरण – 2660.76 लाख रूपये की बचत (3000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं केवल उन्हीं मामलों में निधियों को जारी करने के कारण जहाँ पर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी व जो नीति के अंतर्गत आती थी।

12. **मुख्यशीर्ष "4810"**– ऊर्जा के गैर परंपरागत स्त्रोतों पर पूंजी परिव्यय – सौर – नवीकरणीय ऊर्जा – 477.69 लाख रूपये की बचत (1000.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद होने, दिल्ली विद्युत नियामक कमिशन (डी.एम.आर.सी.), द्वारा ग्रूप नैट मीटरिंग व वर्च्यूअल नैट मीटरिंग दिशानिर्देशों की अधिसूचना में देरी होने एवं सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना न हो सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 285.74 लाख रूपये की बचत चार उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जो कि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें, निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :–

1 **मुख्यशीर्ष "4217"**– शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय – अन्य शहरी विकास योजनाएं – भूमि – यमुना पार क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का निष्पादन – 151.14 लाख रूपये का अधिक व्यय (4801.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ ।

2 **मुख्यशीर्ष "6215"** – जल आपूर्ति एवं सफाई के लिये ऋण – **(अ)** जलापूर्ति – स्थानीय निकायों, निगमों इत्यादि को ऋण – (i) पूर्व वितरण प्रणाली और ट्रंक संचरण के प्रतिस्थापन के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 999.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (20001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

(ii) वितरण के साधन और जलाशयों के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 499.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (10001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

(iii) शहरी इलाकों में रेनी वेल्स और ट्यूब वेल्स के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 1499.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (3501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

(iv) कर्मचारी आवास तथा कार्यालय आवास के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 999.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

(v) द्वारका में 50 एम.जी.डी. डब्लू.टी.पी. के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 199.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

(vi) चंद्रावल डब्लू.टी.पी.–जे.आई.सी.ए. के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (केन्द्रीय अंश)– 7999.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

(vii) चंद्रावल डब्लू.टी.पी. के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (राज्य अंश)– 1199.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

(ब) मलव्ययन एवं स्वच्छता – स्थानीय निकायों, निगमों इत्यादि को ऋण – (i) यमुना कार्य योजना –।।। के अन्तर्गत सीवर लाइन के पुनर्वास हेतु दि.ज.बोर्ड को ऋण–दिल्ली सरकार का सहभाग – 1399.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1801.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

(ii) शाखा सीवर/नियमित अनधिकृत कॉलोनियों के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 999.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (15001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

(iii) निलोठी पप्पनकलाँ में सीवर संशोधन परियोजना के लिए ऋण – 1484.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "6217"** – शहरी विकास के लिए ऋण – अन्य शहरी विकास योजनाएँ – (क) स्थानीय निकाय, निगम आदि को ऋण – झुग्गी पुनर्वास योजना के लिए डी यू एस आई बी को ऋण – 17498.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (2502.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – कमजोर वर्गों (जे.उन.उन.यू.आर.एम.) के लिए गृह निमाण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को ऋण (एस.सी.एस.पी.) – 499.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

(ग) अन्य व्यय – कमजोर वर्गों (जे.उन.उन.यू.आर.एम.) के लिए गृह निमाण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को ऋण – 499.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी होने के कारण हुआ।

4. **मुख्यशीर्ष "4059"** – लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय – **(अ)** कार्यालय भवन – निर्माण – न्यायालय भवन – 1620.43 लाख रूपये का अधिक व्यय (5701.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूप्ये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति होने के कारण हुआ।

(ब) अन्य भवन – निर्माण – न्याय प्रशासन – न्याय पालिका के लिए आधारभूत सुविधाएँ (सी.एस.एस) – 703.46 लाख रूपये का अधिक व्यय (2901.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति होने के कारण हुआ।

5. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – सामान्य शिक्षा – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मौजूदा स्कूल बिल्डिंग में प्रमुख वृद्धि/मरम्मत (एस.सी.एस.पी.) – 210.66 लाख रूपये का अधिक व्यय (1500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "5054"**– सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय – (क) जिला एवं अन्य सड़कें – पुल – (i) आई.आई.टी से राष्ट्रीय राजमार्ग 8, पार्ट–ए और पार्ट–बी के लिए बाहरी रिंग रोड के कॉरिडोर में सुधार – 1651.50 लाख रूपये का अधिक व्यय (8501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति होने के कारण हुआ।

(ii) नन्द नगरी दिल्ली के पास रोड़ नम्बर 68 पर आर.ओ.बी. व आर.यू.बी. रेल स्तरीय क्रॉसिंग का निर्माण – 1197.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति होने के कारण हुआ।

(ख) सड़क कार्य – (i) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (आर.आर. एवं ओ.आर.आर) के सुदृढ़ीकरण / पुनर्निर्माण / सूक्ष्म निर्माण – 525.21 लाख रूपये का अधिक व्यय (5001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति होने के कारण हुआ।

(ii) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (रोहिणीय सड़कों) के सुदृढ़ीकरण / पुनर्निमाण / सूक्ष्म निर्माण – 2083.16 लाख रूपये का अधिक व्यय (10001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूप्ये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति होने के कारण हुआ।

(iii) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (आर.ओ.डब्ल्यू के साथ 30 मीटर से कम की सड़कं) के सुदृढ़ीकरण / पुनर्निर्माण / सूक्ष्म निर्माण – 6567.85 लाख रूपये का अधिक व्यय (10001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति होने के कारण हुआ।

(ग) अन्य व्यय – (i) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत डी.टी व टी.डी.सी. के द्वारा सडकों व पुलों का निर्माण – 2726.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (10001.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति होने के कारण हुआ।

(ii) अंधेरे स्थान पर स्ट्रीट लाईटों की स्थापना – 198.73 लाख रूपये का अधिक व्यय (40.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति होने के कारण हुआ।

7. **मुख्यशीर्ष "6801"** – विद्युत परियोजना के लिए ऋण – डीजल / गैस विद्युत उत्पादन – प्रगति पावर योजना–।।। बवाना को ऋण – 32499.00 लाख रूपये का अधिक व्यय (2501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूप्ये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 230.18 लाख रूपये का अधिक व्यय तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत था जोकि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रूपये से कम था ।

अनुदान संख्या 12 – सरकारी कर्मचारियों को ऋण
(सभी स्वीकृत)

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

पूंजीगत			
स्वीकृत –	1,50,00	1,01,43	–48,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			–30,00

<u>टीका एवं टिप्पणियां</u>

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 48.57 लाख रूपये की (150.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 32.38 प्रतिशत थी।

अनुदान संख्या 13 – पेंशन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)

(हजार रूपयों में)

राजस्व			
स्वीकृत –	125,00,00	2,18,07	–122,81,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			–100,75,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 12281.93 लाख रूपये (12500.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 98.25 प्रतिशत थी ।

12200.00 लाख रूपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैः–

1. **मुख्यशीर्ष "2071"** – पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ – नागरिक – परिभाषित अंश दान पेंशन योजना में सरकारी अंश – सरकारी अंशदान – 12200.00 लाख रूपये – भारत सरकार से मामले का निपटारा न होने एवं योजना के लागू न होने के कारण ।

इसके अतिरिक्त 81.93 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत थी जोकि 50.00 लाख रूपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रूपये से कम थी ।

अनुदान संख्या 14 – आकस्मिक निधि के अर्न्तगत विनियोजन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
			(हजार रूपयों में)
पूंजीगत			
स्वीकृत –			
पूरक	90,00,00	90,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नही

<u>**टीका एवं टिप्पणियां**</u>

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में प्रारंभ मे इस शीर्ष में बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, 9000.00 लाख रूपये का प्रावधान पूरक अनुदान द्वारा किया गया और पूरा बजट वित्त वर्ष 2018–19 में ही उपयोग कर लिया गया, जिसके कारण कोई बचत नहीं हुई।

अनुदान संख्या 15 – सार्वजनिक ऋण (सभी प्रभारित)

		कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित –		2958,98,40	2867,11,41	–91,86,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				–91,86,40
पूंजीगत				
प्रभारित –				
मू.	1728,54,60)			
पू.	1907,81,40)	3636,36,00	3636,35,30	–70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नही

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 9186.99 लाख रूपये की (295898.40 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुल बचत थी जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 3.10 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :–

(लाख रूपयों में)

सार्वजनिक ऋण
मुख्यशीर्ष "2049"
ब्याज का भुगतान

मू.	2958,98,40)			
पू.	–91,86.40)	2867,12,00	2867,11,41	–59

1.00 करोड़ रूपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :–

1. **मुख्यशीर्ष "2049"–** ब्याज का भुगतान – केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज – राज्य/संघ क्षेत्र की प्लान योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज – 9186.99 लाख रूपये की बचत (295898.40 लाख रूपये के स्वीकृत विनियोजन की तुलना में) मुख्यतः ब्याज की दरों में बदलाव के कारण हुई।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 363636.00 लाख रूपये के स्वीकृत विनियोग की तुलना में 0.70 लाख रूपये की कुल बचत थी, जो कि नगण्य है।

परिशिष्ट–क

2018-19 की वसूलियों का विवरण

अनुदान की संख्या तथा नाम		बजट अनुमान		वास्तविक वसूलियां		बचत (-)/अधिक (+)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
							(हजार रूपयों में)
1–विधान सभा	स्वीकृत	0	0	13	0	13	0
2–सामान्य प्रशासन	प्रभारित	0	0	0	0	0	0
	स्वीकृत	0	0	444	0	444	0
3–न्याय प्रशासन	प्रभारित	0	0	922	0	922	0
	स्वीकृत	0	0	3974	0	3974	0
4–वित्त	प्रभारित	0	0	0	0	0	0
	स्वीकृत	0	0	14377	0	14377	0
5–गृह	स्वीकृत	0	0	471	0	471	0
6–शिक्षा	स्वीकृत	0	0	68833	39	68833	39
7–चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	0	0	564049	0	564049	0
8–समाज कल्याण	स्वीकृत	0	0	99940	182649	99940	182649
9–उद्योग	स्वीकृत	0	0	7485	1066	7485	1066
	प्रभारित	0	0	0	0	0	0
10–विकास	स्वीकृत	0	0	8945	0	8945	0
11–शहरी विकास एवं	प्रभारित	0	0	0	0	0	0
लोक निर्माण विभाग	स्वीकृत	0	0	18656	14956	18656	14956
योग–	**प्रभारित**	**0**	**0**	**922**	**0**	**922**	**0**
	स्वीकृत	**0**	**0**	**787187**	**198710**	**787187**	**198710**